यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited

(A Government of India Enterprise)

Department of Atomic Energy (DAE) Tableau in the 66th Republic Day Parade 2015 at Rajpath, New Delhi.

48वां वार्षिक प्रतिवेदन
2014-15

48th Annual Report
2014-15

ISO 9001:2008, 14001:2004 एवं IS 18001:2007 कम्पनी

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & IS 18001:2007 Company

Purnima Printers Pvt. Ltd., 0657-2600148

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल	3
2.	कार्यकारी अधिकारीगण	4
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	5
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	8
5.	निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I (ऊर्जा संरक्षण इत्यादि)	19
6.	निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II (निगमित अभिशासन)	21
7.	लेखा विश्लेषण	
	(i) प्रमुख विशिष्टताएँ	26
	(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	27
	(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	28
8.	पाई एवं बार चार्ट	
	(i) आय का वर्गीकरण	29
	(ii) व्यय का वितरण	29
	(iii) आय में वृद्धि	30
	(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि	30
	(v) नियोजित पूँजी	31
	(vi) सकल तथा शुद्ध परिसम्पत्ति	31
9.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	32
10.	निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	37
11.	31 मार्च, 2015 की स्थिति का तुलन-पत्र	38
12.	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए लाभ एवं हानि का लेखा	39
13.	लेखे की 1 से 26 तक की टिप्पणियाँ	40
14.	नकद प्रवाह विवरण	73
15.	पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार संग्रह	74

निदेशक मण्डल

श्री डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)

श्री देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त) (07.02.2015 से)

श्री राजीव गॉबा
(12.08.2015 से)

श्रीमती चित्रा रामचंद्रन
(10.06.2015 तक)

श्री संजीव सूद
(10.06.2015 से)

श्री आर. ए. राजीव
(20.11.2014 से)

श्री एन. साईबाबा

श्री पी. एस. परिहार

श्री बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

लेखा परीक्षक

मेसर्स यू. नारायण एण्ड क. (ई.आर. 0819)
110, अशोका प्लेस
एक्जीबीशन रोड
पटना-800 001

कार्यकारी अधिकारीगण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	**श्री डी. आचार्य**
निदेशक (तकनीकी)	:	**श्री एस. के. श्रीवास्तव**
निदेशक (वित्त)	:	**श्री देबाशीष घोष**
महा प्रबन्धक (खान)	:	**श्री एस. सी. भौमिक**
महा प्रबन्धक (तकनीकी सेवा एवं योजना)	:	**श्री अजय घड़े**
महा प्रबन्धक (ओपेन पीट)	:	**श्री पी. एन. सरकार**
महा प्रबन्धक (विद्युत)	:	**श्री पी. के. धर**
महा प्रबंधक (कॉरपोरेट योजना)	:	**डॉ. ए. के. सारंगी**
महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	:	**श्री एस. के. गुहानियोगी**
महाप्रबंधक (कार्मिक) औद्योगिक संपर्क	:	**श्री सी. एच. शर्मा**
महाप्रबंधक (लेखा)	:	**श्री जी. के. चटर्जी**
कम्पनी सचिव	:	**श्री बी. सी. गुप्ता**

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806
पंजीकृत कार्यालय : जादुगोड़ा माइन्स, जिला : सिंहभूम (पूर्व)
झारखण्ड - 832102
दूरभाष : 0657-2730122 / 222 / 353
फैक्स : 0657-2730322
ई-मेल : cs@ucil.gov.in
वेबसाइट www.ucil.gov.in

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

कम्पनी की 48वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ 2014-15 के लिए कम्पनी का अंकेक्षित लेखा विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और आपकी अनुमति से मैं पढ़ लिया गया मानता हूँ।

सज्जनों, आपकी कम्पनी, भारत में यूरेनियम संसाधनों का व्यवसायिक पैमाने पर उपयोग में संलग्न एकमात्र इकाई के रूप में देश के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के समर्थन में समर्पित है। इस अवधि के दौरान आपकी कम्पनी ने अनेक मोर्चे पर शानदार उपलब्धियों को हासिल किया है जो निगम को राष्ट्रीय गौरव के रूप में लाया है।

जादुगोड़ा प्लांट में अयस्क उपलब्धता में बड़ी रुकावट के बावजूद सभी प्रमुख इकाईयों का प्रदर्शन संतोषजनक बना रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निरूपण के पश्चात् जादुगोड़ा माइन्स को अवैध खनन पट्टे के रूप में 8 सितम्बर, 2014 से उत्पादन से बाहर कर दिया गया है। इस नुकसान की भरपाई के लिए अन्य इकाईयों से उत्पादन को बढ़ा दिया गया है। उत्पादकता एवं पूंजी के उपयोग के आधार पर आपकी कम्पनी ने अपने साल दर साल प्रभावशाली रिकार्ड को बनाये रखा है। इस सच्चाई के बावजूद कि, जादुगोड़ा माइन्स, जिसके पास उच्च कोटि का यूरेनियम अयस्क है और वर्ष के अधिकांश भाग के लिए संचालन से बाहर रही है, पिछले वर्ष की तुलना में

U_3O_8 का उत्पादन बढ़ाने में सक्षम रही है। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग में सभी स्तरों पर सराहना मिली है, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर्यावरण एवं वन की संसदीय स्थायी समिति से सम्बंधित विभाग द्वारा उल्लेख किया गया है ।

आपको सूचित करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि तुम्मलापल्ली में कार्य प्रगति पर है। भूमिगत खान और प्रक्रिया संयंत्र वाले इस परियोजना में कई नवीन प्रौद्योगिकियाँ देश में पहली बार अपनाई जा रही है। खान पहले ही 80% उत्पादन क्षमता प्राप्त कर चुकी है। महत्वपूर्ण हैंगिंग वाल लोड, अत्यन्त दयनीय स्थिति में है और इसे छत गिरने से सम्बंधित घटनाओं के रूप में देखा जा रहा है। यूसिल टीम के साथ साथ नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के द्वारा आयोजित हैंगिंग वाल लोड के लिए माइनिंग एण्ड रूफ सपोर्ट टेकनिक चालू है। पायलट प्लांट अध्ययन के पश्चात् संयंत्र में उन्नत प्रतिप्राप्ति एवं अवक्षेपण की दिशा में वैज्ञानिक समाधान लाया जा रहा है। नए उपकरणों की स्थापना की जा रही है। संयंत्र प्रदर्शन में तेजी से सुधार हो रहा है।

जादुगोड़ा में चौथे चरण का टेलिंग पाँड, तुरामडीह में मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट, तुरामडीह में यूरेनियम पैरॉक्साइड सुविधा और तुरामडीह में द्वितीय चरण का टेलिंग पाँड का कार्य प्रगति पर है। आपकी कम्पनी ने सिंहभूम में मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के संचालन के अपशिष्ट से यूरेनियम प्रतिप्राप्ति के लिए एक यूरेनियम प्रतिप्राप्ति संयंत्र निर्माण करने का भी प्रस्ताव दिया है। उसके लिए प्रौद्योगिकी तैयार की गई है। हालाँकि, वास्तविक निवेश मेसर्स एच सी एल के द्वारा इसकी उत्पादउन अनुसूची के तैयार होने के बाद आरंभ होगा ।

आपकी कम्पनी गोगी और तुम्मलापल्ली संयंत्र के विस्तारीकरण में पूर्व परियोजना गतिविधियाँ जारी रखे हुए है और दोनों स्थानों पर ए एमडी द्वारा अतिरिक्त संसाधन खोजे जाने से उत्साहित है। गोगी पर एक खोजपूर्ण खनन, ए एम डी की एक नई परियोाना को पुन: आरंभ किया जा रहा है। खान मुक्त जल (यूरेनियम की उच्चतम मात्रा सहित) आई जी सी ए आर तथा बार्क के साथ यूसिल बात कर रही है। यूरेनियम खनन पर सार्वजनिक आशंकाओं को दर्शाते हुए यूरेनियम को पृथक करने के लिए सुविधाएं तैयार की जाएंगी। नए पर्यावरण की मंजूरी की प्रक्रिया के लिए गतिविधियाँ आरंभ करदी गई है तथा लोगों के बीच सद्भावना पैदा करने के लिए जन कल्याण की गतिविधियाँ तेज कर दी गई है ।

राास्थान में रोहिल यूरेनियम निक्षेप के लिए साइट पर प्रस्तावित प्रौद्योगिकी संयंत्र अध्ययन के साथ साथ खोजपूर्ण खनन योजना मंजूरी की अंतिम चरण में है। विभिन्न मेटर्लार्किल डोमेन में सभी प्रासेगिक भू-यांत्रिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ए एम डी की ओर से इस परियोजना को शुरू करने की योजना यूसिल ने बनाई है। प्रोसेस प्लांट निर्माण के दौरान अनिश्चितताओं को कम करने के लिए टी डी पी पी पर निरंतर पायलट प्लांट की सफल स्थापना की अनुमति होगी। औद्योगिक उपयोग के लिए पानीके स्रोत का पता लगाने के लिए इस अवधि का लाभप्रद उपयोग किया जा सकता है ।

आपकी कम्पनी ने सिंहभूम में भाटिन खान की आधुनिकीकरण का कार्य, इसकी उत्पादकता उन्नत करने के लिए अपने हाथ में लिया है। सिंहभू और तुम्मलापल्ली में "सिंहभूम एवं तुम्मलापल्ली में संचालन की डिबोट्लनेकिंग" शीर्ष के अन्तर्गत, वर्तमान सुविधाओं से सुचारू और सतत उत्पादन बनाये रखने के लिए सात नई परियोानाओं को हाथ में लिया गया है ।

तेलंगना के लाम्बापुर में भूमि अधिग्रहण और मेघालय के के. पी .एम. परियोाना के लिए अनुमोदन अभी भी प्रतिक्षाधीन हैं। अनुमोदन प्रर्किया की चाह में बैठकों के माध्यम से नियमित अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है। इस बीच क्षेत्र में यूरेनियम खनन के लिए लोगों की इच्छाशक्ति पैदा करने और सकारात्मक प्रतिक्रिया की उपलब्ध कराने के.पी.एम.परियोजना के आसपास कल्याणकारी सामाजिक सम्पर्क कार्यक्रम जारी हैं ।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के मध्य अच्छे सम्बधों के साथ आपकी कम्पनी के औद्योगिक सम्बंध संतोषजनक रहे। कामगारों का वेतन समझौता समाप्त के प्रयास प्रगति पर हैं और जल्द ही सफल होने की उम्मीद है ।

आपकी कंपनी गुणवत्ता आश्वासन के लिए आई एस ओ 9001:2008, पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली के लिए आई एस ओ 14001:2004 प्रमाणन तथा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आई एस-18001:2007 प्रमाणन को लगातार बनाये रखी है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी के नरवापहाड़ टाउनशिप को आई एस ओ 14001:2004 का प्रमाण पत्र टी यू व्ही/नॉर्ड के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो देश क किसी खनन उद्योग के टाउनशिप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मैं आपको सूचित करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि अपने सी.एस.आर. क्रियाकलापों के लिए आपकी कम्पनी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और इसे ग्रीनटेक सी.एस.आर.अवार्ड 2014 के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम "सफाई हमारे हाथ" स्वच्छता परियोजना में से सी.एस.आर.में सर्वोत्तम पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावे इंडिया टूडे ग्रुप 2014 द्वारा सस्टेनबलिटी अवार्ड, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट एवं अकुआ फाउण्डेशन एक्सीलेंस अवार्ड से 2014-15 के दौरान आपकी कम्पनी को सम्मानित किया गया है। निगमित प्रशासन एवं खान सुरक्षा पर भी राष्ट्रीय स्तर पर कम्पनी को उपलब्धि प्राप्त हुई है।

माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण "स्वच्छ भारत" को ध्यान में रखते हुए आपकी कम्पनी ने देश में झारखण्ड, आंध्र प्रदेश एवं मेघालय में अपनी इकाईयों के आस पास 14 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कर व्यापक स्वच्छता अभियान में सक्रियता से भाग लिया है। उद्योगों की अति चयनित सूची में शामिल करते हुए, राय सी.एस.आर. शासी परिषद में यूसिल को एक सदस्य के रूप में शामिल करते हुए झारखण्ड सरकार द्वारा आपकी कम्पनी के सी.एस.आर. पहल को पहचान मिली है।

वर्ष 2014-15 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में आपकी कम्पनी के निष्पादन को "अच्छा" के रूप में मूल्यांकन होने की उम्मीद है। स्कोर में इस गिरावट की मुख्य वजह, मुआवजे की दर के निरंतर गैर संशोधन की वजह से है, जबकि आपकी कम्पनी ने जादुगोड़ा माइन्स में कार्य स्थगन जैसी चुनौतियों के रूप में सफलतापूर्वक व्यय पर नियंत्रण किया है।

आपकी कम्पनी ने अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियाना, परमाणु ऊर्जा एजेंसी, फ्रांस, विश्व परमाणु संघ, लंदन, यूरोप, जेनेवा इत्यादि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग जैसे अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में उपयोगी तकनीकी गठजोड़ को बनाये रखा है। आई.आई.टी. खड़गपुर, आई.एस.एम. धनबाद, एक्स.एल.आर.आई. जमशेदपुर, सी.आई.एम.एफ.आर. धनबाद, एन.आई.आर.एम. कोलार, एन.एम.एल. जमशेदपुर इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान के साथ तकनीकी गठबंधन दूरगामी प्रौद्योगिकी के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध करा रही है।

2013-14 का तुलन पत्र, जो कि वस्तुगत निष्पादन के मामले में संतोष का विषय रहा। वित्तीय निष्पादन के लिए तीन वर्षों की अवधि से लंबित उत्पाद की मूल्यवृद्धि की तरफ ध्यान देने की जरुरत है। 2011-12 से लंबित उत्पाद मूल्य के निर्णय की वजह से घरेलू स्रोत की कठिनाई के कारण बढ़ते उत्पादन लागत आपकी कंपनी के विकास के लिए गंभीर चुनौती है ।

मुआवजे की मूल्य का गैर-संशोधन कार्यबल के सामान्य मनोबल पर एक दिखने वाला प्रभाव है। अनुसूची-बी कम्पनी की तरह इसका वर्गीकरण प्रतिभाओं के बीच कम आकर्षण का कारण होती है।

कम्पनी के सभी कर्मचारियों को उनके प्रयासों एवं प्रतिबद्धता के लिए मैं प्रशंसा करता हूँ। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग एवं उसके विभिन्न इकाईयों, विशेष कर बार्क, ए एम डी, एन एफ सी तथा एन पी सी आई एल को उनके मदद, दिशा-निर्देशन एवं सहयोग के लिए आभारी हूँ। तकनीकी मदद के लिए विभिन्न शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं विशेषकर आई आई टी खड़गपुर, आई एस एम धनबाद, सी आई एम एफ आर धनबाद तथा एन आई आर एम कोलार का आभारी हूँ। कंपनी बोर्ड के साथी विशेषकर, सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवा के दौरान एवं उसके पश्चात बहुमूल्य सुझाव एवं प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अब मैं कंपनी के 31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र एवं 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा आपके विचारार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अंगीकरण के लिए प्रस्तुत करता हूँ ।

धन्यवाद,

डी.आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता
30 सितम्बर, 2015

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

देवियों एवं सज्जनों,

आपके निदेशकगण को कम्पनी का 31 मार्च, 2015 में समाप्त हुए वर्ष का 48वाँ वार्षिक विवरण परीक्षित लेखाओं तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है ।

1.0 परिचालन विशिष्टताएँ

1.1 वित्तीय निष्पादन

लाख रुपयों में

	चालू वर्ष 2014-2015	विगत वर्ष 2013-2014
आय	89,023.96	81,429.78
मूल्च ह्रास एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पूर्व लाभ	9,324.58	9,538.81
घटाया : (क) मूल्यह्रास	8,185.84	7,793.44
जोड़ा : (ख) पूर्व अवधि का समायोजन	(-5.48)	(-112.60)
कर पूर्व का लाभ	**1,133.26**	**1,632.77**
घटाया : (क) कर का प्रावधान	1,225.41	1,041.98
(ख) पूर्व के वर्षों के लिए	(119.20)	123.97
(ग) आस्थगित कर का प्रावधान	(791.26)	(602.63)
कर पश्चात् लाभ	**818.31**	**1,069.45**
जोड़ा: विगत वर्ष से लाया गया	25,408.26	24,803.18
घटाया: मूल्य ह्रास के लिए समायोजन (शुद्ध कर)	1,020.97	-
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	25,205.60	25,872.63
विनियोग		
साधारण रिजर्व	164.00	214.00
प्रस्तावित लाभांश	164.00	214.00
लाभांश पर कर	33.39	36.37
अधिशेष तुलनपत्र में लाया	24,844.21	25,408.26
	25,205.60	25,872.63

आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान राजकोष में आयकर, बिक्रीकर, अन्य लाभकर, सुविधाकर, उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क (आयात) स्वामित्व शुल्क के रूप में 2,762.20 लाख रुपये (गत वर्ष 6,973.72 लाख रुपये) का योगदान दिया।

1.2 परिचालन निष्पादन:

वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कम्पनी के सभी प्रचालन इकाईयों का निष्पादन बहुत संतोषजनक रहा तथा खनन उत्पादन एवं संसाधन पहले की अपेक्षा काफी उच्चतम दर्ज किया गया तथा संसाधित अयस्क को न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स को भेजा गया।

- **जादुगोड़ा खान**

  जादुगोड़ा खान का संचालन पट्टा निष्पादन के बावजूद वन भूमि विचलन के नवीकरण हेतु यूसिल का आवेदन अब तक प्रक्रियाधीन है।

- **भाटिन खान**

  आने वाले वर्षों में उच्च उत्पादन के लिए खान का नक्शा तथा अयस्क ऊपर उठाने की व्यवस्था का उन्नयन किया जा रहा है। भाटिन का आधुनिकरण परियोजना के अन्तर्गत संबंधित गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। स्टैंडिंग प्रोजेक्ट ऑपरेजल कमिटि (एसपीएसी) ने परियोजना अनुमोदन कर दिया है। जादूगोड़ा खान पट्टा आवेदन सहित वन भूमि विचलन के नवीकरण कार्य प्रगतिधीन हैं।

- **नरवापहाड़ खान**

  नरवापहाड़ खान अपने शॉफ्ट डिकलाइन इन्ट्री कम्बीनेशन तथा 1000 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता सहित देश की सर्वाधिक आधुनिक भूमिगत यूरेनियम खान है। इसकी उच्च उत्पादकता एवं उन्नत सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए पटरीविहीन उपकरण का फैलाव इसके प्रदर्शन को आगे बढ़ाता है। वर्ष के दौरान इनकी उपयोग क्षमता 140.16% दर्ज की गई। स्थायी आधार पर उत्पादन क्षमता 1500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाने हेतु खान के विस्तारण की योजना बनाई गई है।

- **तुरामडीह खान**

  नरवापहाड़ के बाद अपने तरह की दूसरी खान, आधुनिक भूमिगत पटरीविहीन खनन का उपयोग 750 टन प्रति दिन की निर्धारित क्षमता को 1000 टन प्रति दिन तक विस्तार किया जा रहा है। वर्ष के दौरान तुरामडीह खान में 129.88% उपयोग क्षमता दर्ज की गई है। तुरामडीह में अयस्क हॉस्टिंग और क्रसिंग सिस्टम में सुधार प्रगतिधीन है तथा एक नए गैर प्रविष्टि प्रकार की स्टॉपिंग विधि कार्यान्वयन के अधीन है, जिसका उपयुक्त भू-वैाानिक सटिंग में और अधिक उत्पादक और सुरक्षित होने की उम्मीद है ।

- **बान्दुहुरांग ओपेनकास्ट खान**

  यह 3500 टन प्रति दिन उत्पादन क्षमता वाली देश की प्रथम ओपेन कास्ट यूरेनियम माइन्स है । वर्ष के दौरान 108.08% की क्षमता उपयोग के साथ समग्र प्रदर्शन संतोषानक रहा। खान साइट के आस पास सामाजिक राजनीतिक माहौल का अस्थिर होना जारी है ।

- **बागजाता खान**

  बागजाता खान से उत्पादित अयस्क जादुगोड़ा संयंत्र में संसाधित किया जाता है। बागजाता खान से उच्चतर उत्पादन ने क्षेत्र में परिवहन के लगातार अवरोधों के विरुद्ध जादुगोड़ा संयंत्र में एक बफर के रूप में भण्डार बनाने में मदद किया है। हांलाकि खान का लाकेशन और सामान्य विधि व्यवस्था की समस्या, खान से संयंत्र तक सुगम अयस्क परिवहन को प्रभावित किया है। वर्ष के दौरान खान में 145.76% क्षमता उपयोग दर्ज की गई है।

- **मोहुलडीह भूमिगत खान:**

  यह झारखण्ड में आपकी की सबसे नई मान्यताप्राप्त खान है। यह पटरीविहीन उपकरण तैनाती की आधुनिक पद्धति को अपनाई है। वर्ष के दौरान क्षमता उपयोग में 54.37% वृद्धि हुई है। इस खान से उत्पादित अयस्क का संसाधन जादुगोड़ा संयंत्र में किया जाता है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत की गई है।

- **जादुगोड़ा संयंत्र**

  1968 में प्रवर्तित संयंत्र का तीन चरणों में विस्तार हुआ है। जादुगोड़ा खान एवं भाटिन खान में स्थगत के बावजूद वर्ष के दौरान 2500 टन प्रति दिन के प्रसंस्करण क्षमता के साथ संयंत्र 94.54% उपयोग

क्षमता दर्ज की गई है। संयंत्र, यूरेनियम पेरॉक्साइड उत्पादन करता है, जो पर्यावरण के अनुकूल एवं एन एफ सी को मूल्य वर्धित उत्पाद संसाधन प्रथाओं को लाभान्वित करता है ।

■ **तुरामडीह संयंत्र**

3000 टन प्रति दिन अयस्क प्रसंस्करण क्षमता वाला तुरामडीह सयंत्र आपकी कम्पनी के के उत्पादन को महत्वपूर्ण योगदान के साथ अच्छी तरह प्रदर्शन कर रही है । यह संयंत्र उन्नत उपकरणों और आधुनिक नियंत्रण निगरानी सुविधाओं से सुसज्जित है। यह तुरामडीह, बंदुहुरांग और मोहुलडीह खान से सिंचित है। वर्ष के दौरान संयंत्र ने 123.86% उपयोग क्षमता प्राप्त की है ।

■ **उपोत्पाद पृथक्करण संयंत्र**

जादुगोड़ा के उपोत्पाद प्रतिप्राप्ति संयंत्र से मैग्नेटाइट का उत्पादन, कम्पनी की वित्तीय स्थिति में स्थिर प्रदर्शन में योगदान दार्ज किया है। जादुगोड़ा संयंत्र से उत्पादित मैम्नेटाइट की उच्च शुद्धता, बाजार से उत्पाद की अच्छी दर दिला रही है ।

1.3 नई परियोजनाएं

■ **तुमलापल्ली यूरेनियम परियोजना**

भूमिगत खान एवं संसाधन संयंत्र वाली परियोजना द्वारा नवीन प्रौद्योगिकियों को देश में पहली बार अपनाया गया है। खान ने पहले हील 80% उपादन क्षमता को प्राप्त कर लिया है । पर्याप्त स्टॉक पिल भी तैयार हो गयें हैं। हैंग वाल लोड का उत्खनन, जो कि बैड रूफ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक चुनौती है जिसे नेशनल इंस्टीच्युट ऑफ रॉक मैकेनिक, कोलार की सहायता से नई तकनीक के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। पायलट प्लांट अध्ययन के बाद प्लांट में रिकवरी तथा प्रेसीपीटेशन में सुधार की दिशा में कुछ नए उपकरणों को व्यवहार में लाया गया है। प्लांट के कार्य-निष्पादन में निरंतर सुधार हो रहा है ।

■ **गोगी यूरेनियम परियोजना, कर्नाटक**

खोजपूर्ण खनन स्थगित कर दी गई है। ई.आई.ए./ई.एम.पी. अध्ययन के लिए नई शुरुआत गई है। ई.टी.पी. एवं सम्बंधित खोजपूर्ण खादान विकास की संस्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये का नया प्रस्ताव ए.एम.डी. के द्वारा अनुमोदन के अधीन है । पिरामिल हेल्थ केयर द्वारा संचालित चलंत चिकित्सा शिविर शुरू किया गया है । बार्क प्रौद्योगिकी के साथ खान का प्रवाह उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य प्रगति पर है।

■ **लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना**

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और ए.ई.सी. के द्वारा अनुमोदित है तथा एम.ओ.ई.एफ. से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना के लिए तेलंगाना सरकार के खनन पट्टे का अनुमोदन और राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा स्थापना हेतु स्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित है। सरकारी जमीन का हस्तांतरण, वन भूमि का विपथन तथा निजी जमीन के अधिग्रहण हेतु आवेदन तैयार कर लिये गए हैं। पीने के पानी का एक मुख्य स्रोत नागार्जुन के बारे में प्रदूषण संबंधित आशंका बनी हुई है।

■ **केलेंग-पेंडेंगसोहियोंग परियोजना, मेघालय**

आपकी कम्पनी मेघालय के दक्षिण पूर्वी खासी हिल्स जिले में केलेंग पेंडेंगसोहियांग (के.पी.एम. परियोजना) के लिए भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास जारी रखे है। समय समय पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक एवं वार्ताएं की जा रही हैं। स्थानीय लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया बनाने एवं यूरेनियम खनन की वजह से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, भूमि हस्तांतरण बाहरी लोगो के आमद इत्यादि की डर को मिटाने के लिए आपकी कम्पनी के द्वारा सफलतापूर्वक सड़कों एवं पूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, शैक्षणित केंद्रों एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के लिए सहायता जैसी कल्याणकारी गतिविधियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इससे स्थानीय जनसंख्या को सकारात्मक पर्यावरण सृजन में साथ लाने में मदद मिली है।

■ **रोहिल यूरेनियम भण्डार, राजस्थान**

आपकी कम्पनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य करने के लिए ए.एम.डी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अन्वेषण खनन कार्य की योजना आवश्यक अनुमोदन हेतु ए.एम.डी. के पास जमा कर दिया गया है। इसमें भूमिगत विकास, सतही सुविधा एवं मशीनरी, टी.डी.पी.पी. जादुगोड़ा में सुविधा का उन्नयन तथा खान क्षेत्र में एक पायलट संयंत्र की स्थापना शामिल है।

■ **तुरामडीह में मैग्नेटाइट प्रति-प्राप्ति संयंत्र**

तुरामडीह का नया मैग्नेटाइट प्रति-प्रप्ति संयंत्र, अवशेष से उपयोगी उत्पाद की प्रतिप्राप्ति में सहायता करेगा तथा आपकी कम्पनी की वित्तीय स्थिति को उन्नत करेगा। मेकॉन से डिजाइन आधारित रिपोर्ट (डी.बी.आर.) और ए.ई.आर.बी. से स्वीकृति जल्द ही मिलने की उम्मीद है। प्रमुख सिविल क्रियाकलाप प्रगति पर है। सभी प्रमुख्य निविदा कार्य पूर्ण हो गए हैं और प्रमुख उपकरणों हेतु आदेश निर्गत कर दिये गए हैं ।

■ **तुरामडीह में यूरेनियम पेरॉक्साइड फैसिलिटी**

एन.एफ.सी. में यूरेनियम पेरॉक्साइड के रूप में यूरेनियम का उत्पादन बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन को मदद करेगा। मौजूदा तुरामडीह यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र में यूरेनियम पेरॉक्साइड सुविधा, अभिकर्मकों के अधिकतम उपयोग और उत्पाद के बेहतर प्रतिप्राप्ति के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है। परियोजना का उद्घाटन दिनांक 24.08.2015 को श्री संजीव सूद, संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम), प.ऊ.वि. द्वारा किया गया।

■ **जादूगोड़ा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड**

आपकी कंपनी ने जादूगोड़ा संयंत्र के टेलिंग प्रबंधन के लिए सामर्थ्य निर्माण की दिशा में अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण टेलिंग पॉण्ड के द्वितीय फेज का निर्माण किया है। साइट गतिविधियों के लिए कुछ प्रमुख ठेके प्रदान किये गए हैं। पूजन स्थल (जाहिरा) की सुरक्षा के लिए स्थानीय आबादी क द्वारा निर्माण कार्य बाधित हुआ है, जबकि सम्बंधित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपाय किये गए हैं ।

■ **तुरामडीह में द्वितीय चरण का टेलिंग पॉण्ड**

तुरामडीह का द्वितीय चरण टेलिंग पॉण्ड तुरामडीह संयंत्र के अवशेष के प्रबंध के लिए क्षमता का निर्माण करेगा। परियोजना की ए.ई.आर.बी. स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। निविदा, निर्माण इत्यादि से सम्बंधित सभी गतिविधियाँ कार्यक्रम के अनुरूप हैं। पूर्वी छोर में सड़क निर्माण पूर्ण हो गया है। अन्य निर्माण गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

■ **कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम प्रति-प्राप्ति संयंत्र**

आपकी कंपनी ने राखा एवं सुरदा माइन्स में मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के संचालन से यूरेनियम प्रति-प्राप्ति हेतु दो यूरेनियम प्रति-प्राप्ति संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव किया है। तकनीकी सलाहकार को अंतिम रूप दे दिया गया है और इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स,धनबाद के रिपोर्ट से तैयार तकनीकी सम्बंध के साथ डी.पी.आर. लाइन में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है ।

■ **भाटीन माइन्स का आधुनिकीकरण**

विन्जेज में से एक को गहरा कर, ओरबॉडी स्तर को उन्नत, सूक्ष्म उपकरणों को उत्क्रमित तथा नये पटरीविहीन उपकरणों का क्रय करते हुए भाटिन खान में खनन संचालन के विस्तार का प्रस्ताव है। 12वीं योजनावधि के मध्यक्रम समीक्षा में व्यवस्था की गई है । स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति (एस.पी.ए.सी.) ने परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। निविदा कार्य प्रगति पर है।

■ **सिंहभूम और तुम्मलापल्ली संचालन का डिबोटल-नेकिंग**

माइन्स एवं मिल में अपनाई गई डिबोट्लनेकिंग परियोजना, लगातार उच्च प्रदर्शन स्तर को कायम रखने में मदद करेगी। विभिन्न क्षेत्र चिह्नित किये गए हैं जिन्हें, सुगम सतत उत्पादन हेतु आधुनिक/संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। कम्पनी, दो विभिन्न शीर्षों- सिंहभूम संचालन का डिबोट्लनेकिंग तथा तुम्मलापल्ली संचालन का डिबोट्लनेकिंग के तहत वर्गीकृत करते हुए कुल सात परियोनाओं का प्रस्ताव लायी है। 12वीं योजनावधि के मध्यक्रम समीक्षा में व्यवस्था की गई है। स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति (एस.पी.ए.सी.) ने परियोजना को अनुमोदित कर दिया है । निविदा कार्य प्रगति पर है ।

1.4 समझौता ज्ञापन निष्पादन

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता

ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2014-2015 में आपकी कम्पनी के निष्पादन कार्य को "बहुत अच्छा" रेटिंग मिलने की आशा है। समझौता ज्ञापन का स्कोर वित्तीय प्रदर्शन परिणामी उत्पाद के मुआवजा दर के गैर संशोधन से एक बड़ी हद तक प्रभावित है।

2.0 लाभांश में तथा रिजर्व में स्थानान्तरण

आपके निदेशकगण 153,961.78 लाख रुपये के प्रदत्त पूंजी के ऊपर 164.00 लाख रुपये लाभांश देने का सिफारिश करते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं (विगत वर्ष यह राशि 214.00 लाख रुपये थी) तद्नुसार लाभ से 164.00 लाख रुपये की यह राशि सामान्य आरक्षित राशि में स्थानान्तरित किया गया तथा वर्ष 2014-15 के लिये लेखा में 33.39 लाख रुपये (विगत वर्ष 36.67 लाख रुपये) लाभांश पर कर के लिए प्रावधान किया गया है।

3.0 अंश पूँजी

वर्ष के दौरान कम्पनी की अधिकृत अंशपूँजी 2500 करोड़ रुपये तथा 31.03.2015 को निर्गमित अंशपूँजी 1539.62 करोड़ रुपये हुई।

4.0 ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, नवात्पाद तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) कम्पनी (लेखा) नियम 2014 का नियम 8 के साथ पठित प्रौद्योगिकी का समावेश तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्जन संबंधी विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-1 में दिखलाया गया है।

5.0 औद्योगिक सम्बंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध सहित संतोषजनक रहा। बैठकें नियमित रूप से सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आयोजित की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान औद्योगिक शांति रही है।

6.0 श्रम शक्ति

31.03.2015 को आपकी कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4685 थी। कम्पनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कम्पनी की कुल कार्यशक्ति का 52.59% है। 31.03.2015 को कम्पनी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 2 तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 12 थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शनों के आधार पर आरक्षित कोटा भरने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखा है। विभिन्न संचालित इकाइयों के कर्मचारियों की शिकायत से संबंधित मुद्दों को केंद्रित करते हुए शॉप समिति की कुल 40 बैठकें की गई। ये मुद्दे बाद में उच्च प्रबंधन की जानकारी में लाए गए। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रैच्युटी निधि न्यास, मृत्यु लाभ योजना, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। कर्मचारियों के प्रतिनिधि सुरक्षा समिति, कैन्टिन प्रबंधन समिति तथा स्पोर्ट्स समिति इत्यादि के सदस्यों के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वेतन पुनरीक्षण की लंबित वार्ताएं सौहार्दपूर्ण परिवेश में जारी है और जल्द ही पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।

8.0 कर्मचारियों का विवरण

वर्ष 2014-15 के दौरान पारिश्रमिक विवरण निम्नवत् है :

i) श्री डी.आचार्य (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) — रु. 27.40 लाख

ii) श्री एस. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी) — रु. 22.71 लाख

iii) श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त), (07.02.2015 से) — रु. 3.22 लाख

iv) श्री बी. एल. साबू, निदेशक (वित्त) (12.05.2014 तक) — रु. 2.47 लाख

9.0 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

आपकी कम्पनी, अपने मानव संसाधन को लगातार विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए और कर्मचारियों के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी तरह से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान की गई है। नवीतम अवधारणाओं और उनके विकास की जरूरतों के बराबर में कर्मचारियों को रखने के क्रम में श्रमिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक इकाई में स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में और अधिकारियो एवं पर्यवेक्षकों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र (एम.टी.सी.) में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। युवा अधिकारियों के कैरियर विकास हेतु, एक वर्ष पूर्व आरंभ की गई योजना ने, आकर्षित करने, कर्मचारियों को रोके रखने तथा प्रेरित करने के लिए कम्पनी की मदद की है।

आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न मंचों और देश भर में ख्यातिप्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए 97 अधिकारियों को प्रायोजित किया। कर्मचारियों के स्कील गैप/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करने का कार्य आपकी कम्पनी के द्वारा पहचान प्रतिचित्रण के माध्यम से करना अपनाया गया और इस क्रम में मौजूदा श्रमशक्ति के कौशल, ज्ञान एवं योग्यता में वृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र, नरवापहाड़ में अन्तर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं बृहत क्षेत्र में आयोजित किये गए। वर्ष 2014-15 के दौरान 257 अधिकारी एवं पर्यवेक्षकगण 1084 दिनों के अन्तर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं में भाग लिए। वर्ष के दौरान आई.एस.टी.डी. द्वारा आयोजित "योग्य प्रशिक्षक" पाठ्क्रम में एम.टी.सी. के प्रशिक्षण शीर्ष को पारित कर दिया गया।

10.0 सुरक्षा

आपकी कम्पनी सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य को उत्पादन प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग मानती है । उत्पादकता में सुधार के साथ साथ सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्टेट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से मशीनीकरण के उच्च स्तर को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इसके पास एक सुव्यवस्थित आंतरिक सुरक्षा संगठन और व्यावसायिक स्वास्थ्य संरचना है। इसने आई.एस./आई.एस.ओ. 18000:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणन हासिल किया है। आंतरिक सुरक्षा संगठन के प्रमुख सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सूचित करते हैं। खान के पिट सुरक्षा समिति, संयंत्र स्तरीय सुरक्षा समिति तथा मिलों के अनुभागीय सुरक्षा समितियाँ नियमित बैठके करते हैं। इन बैठकों में ट्रेड यूनियम प्रतिनिधिगण सहित क्रॉस सेक्सन के कर्मचारीगण, कर्मचारियों के निरीक्षकगण, चिकित्सा अधिकारीगण हैं तथा स्वास्थ्य भौतिकविद शामिल हुए और असुरक्षित गतिविधियों और काम करने के तरीकों, मिस ऐक्सिडेंट पर चर्चा तथा कार्य के दौरान हुए दुर्घटनाओं पर चर्चा समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई। कर्मचारियों के नियोान पूर्व और समय समय पर स्वास्थ्य जाँच के लिए यूसिल अस्पताल में योग्य व्यावसायिक स्वास्थ्य चिकित्सक हैं। ठेकेदार श्रमिकों सहित कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न इकाइयों से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। नरवापहाड़ के प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित की जाती है। सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड आदि जैसे सांविधित निकायों के साथ हमेशा निकट समन्वय बना रहता है। यूसिल की ऑपरेटिंग माइन्स एवं मिल, डी.जी.एम.एस.द्वारा आयोाित वार्षिक सुरक्षा सप्ताह समारोह में भाग लेते हैं और बराबर पदक जीतते हैं। चाईबासा क्षेत्र का वार्षिक सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह, नरवापहाड़ माइन्स में दिनांक 18 मई, 2014 को आयोजित की गई। 2014-15 में कोई घातक दुर्घटना नहीं थी। इस अवधि के दौरान कोई गंभीर दुर्घटना नहीं थी।

11.0 निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

पूर्व के वर्षों की तरह आपकी कम्पनी अपने संचालन इकाईयों के आसपास रहने वाले समुदायों के साथ एक स्थायी सम्बंध बनाने के लिए आपसी सम्मान, सक्रिय भागीदारी और दीर्घकालीन प्रतिबद्धताओं के माध्यम से प्रयास जारी रखे हुए है। हमारे निगमित सामाजिक दायित्व योजना के द्वारा प्रभावी पड़ोसी प्रबंधन तथा बॉटम-अप अप्रोच के द्वारा सामुदायिक सम्बंध कम्पनी के उन्नत प्रयासों का मार्गदर्शक बनी हुई है। आपकी कम्पनी स्थानीय युवाओं को आय सृजन कार्यक्रम के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने में और उनकी कमाई स्तर की क्षमताओं को उन्नत करने में और आत्म-निर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए ग्रामीणों को नए कौशल प्रदान कर एक सक्रिय भूमिका निभा रही है ।

इन प्रयासों के तहत 2014-15 में आपकी कम्पनी के द्वारा सी.एस.आर.गतिविधियों के तहत निम्नलिखित पहल किये गए :

i) शिक्षा: गाँव के आसपास रहनेवाले गरीब बच्चों को प्रतिभा

पोषण कार्यक्रम के तहत परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला दिया गया और पोशाक, जूते, स्टेशनरी, किताबें, बैग इत्यादि दिये गए। मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता भी दिये गए। डेस्क, कुर्सियाँ, टेबल, ब्लैक बोर्ड इत्यादि भी अधिकांश स्थानीय ग्रामीण विद्यालयों को उपलब्ध कराये गए।

ii) पेयजल: आस पास के गांवों में नए हैंड पंप स्थापित कर तथा स्वच्छ जल के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण कर पेय जल के लिए प्रावधान किये गए। पिछले वर्ष की तरह सभी हैंड पंप के लिए वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव का ठेका प्रदान किया गया। आपकी कम्पनी के द्वारा तुम्मलापल्ली में उपलब्ध कराया गया आर.ओ. प्लांट ग्रामीणों के लिए एक वरदान है। आपकी कम्पनी इन आर.ओ.प्लांटों को नन्दी फाउण्डेशन के द्वारा संचालन एवं रख-रखाव जारी रखे हुए है।

iii) कौशल विकास: स्थानीय समुदाय के कौशल को विकसित और बढ़ाने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के क्रम में अवधि के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के विशेष रेंज आयोजित किये गए। इस सम्बंध में कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी एवं शौफ्ट स्कील कोचिंग, फिनाइल निर्माण, पत्ते के कटोरे बनाने, जरी साड़ी बनाने इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किये गए। तुरामडीह का औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आई.टी.सी.), वेल्डर, फिटर तथा विद्युत मिस्त्री ट्रेड में सफलतापूर्वक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कुल 37 उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

iv) सिंचाई: कृषि एवं सिंचाई पहल के तहत जादुगोड़ा इकाई के करीब अवस्थित माटीगोड़ा गाँव में सहायता उपलब्ध कराया गया था एवं ग्रामीणों को अच्छी फसल के लिए सक्षम बनाने के लिए बीज, खाद तथा कीटनाशक वितरित किये गए। सुअर एवं बकरी पालन के लिए स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.एस.) को पशुपालन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान किये गए। पशुपालन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान किये गए।

v) आधारभूत संरचना: अवधि के दौरान विभिन्न बुनियादी विकास पहल, जैसे: ग्रामीण सड़कों का निर्माण/मरम्मती, तुम्मलापल्ली परियोजना के आसपास के गाँवों में सोलर लाइट उपलब्ध कराने का कार्य आरंभ किया गया। मुख्य रूप से बच्चों के लिए खेल के मैदान का निर्माण के साथ स्वींग, सा-सॉ ूले इत्यादि, क्लास रूम की मरम्मत, बेंच एवं डेस्क तथा घाघीडीह जेल, जमशेदपुर में किशोरों के लिए आधारभूत पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराया गया।

vi) स्वास्थ्य देखभाल: आसपास के गाँवों में साप्ताहिक स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। पिरामल हैल्थ केयर समूह के साथ आपकी कंपनी ने कर्नाटक में यादगीर जिले के गोगी परियोजना में एक चलंत चिकित्सा शिविर आरंभ किया है। स्थानीय समुदायों द्वारा इस पहल की अत्यंत सराहना की गई है और यह विपत्ती में सहायता प्रदान कर रही है।

vii) खेलकूद एवं संस्कृति: खेलकूद के क्षेत्र में कोचिंग प्रदान कर तथा खिलाड़ियों को सम्बंधित सामग्री प्रदान कर फुटबॉल पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप जमशेदपुर फुटबॉल एसोसियेशन द्वारा आयोजित वर्ष के प्रीमियर डिवीजन टूर्नामेंट में नरवापहाड़ खान फुटबॉल टीम ने जीत हासिल किया। अन्तर-रज्यीय एवं राष्ट्रीय गेम में भाग लेने के लिए झारखण्ड के सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालक श्री लखन हाँसदा को समर्थन देना जारी है। आपकी कम्पनी ने संस्कृति विरासत को बचाये रखने के लिए एवं उनके जातीय आबादी को सक्षम करने के लिए कुछ स्थानीय जनजातीय नृत्य एवं नाटकों का आयोजन किया।

viii) स्वच्छ भारत: साफ सफाई और स्वच्छता के राष्ट्रीय एजेंडा के माननीय प्रधान मंत्री की **स्वच्छ भारत अभियान** की राह पर, यूसिल अपने झारखण्ड एवं आंध्र प्रदेश के आस पास के दस विद्यालयों में पानी के प्रावधान के साथ शौचालय का निर्माण कार्य हाथ में लिया। सभी शौचालय जून 2015 तक तैयार हो गए हैं।

इस प्रकार अवधि के दौरान सतत विकास के मामले में एक नैतिक, सामाजिक अनुकूल तरीके, समुदाय के लिये हितकारी रूप में कौशल एवं संचालन के लिए आपकी कम्पनी का मूल उद्देश्य प्राप्त हो गया है।

सी.एस.आर.समिति का गठन निम्नवत है:

i) स्वतंत्र निदेशक- अध्यक्ष (20.03.2014 से पद रिक्त)

ii) श्री एम.एल.मजुमदार, आई.ए.एस.- एक बाहरी विशेषज्ञ

iii) श्री एस.के. श्रीवास्तव - निदेशक (तकनीकी), यूसिल

iv) श्री डी. घोष - निदेशक (वित्त), यूसिल

12.0 मान्यता एवं पुरस्कार

विभिन्न डोमेनो में आपकी कंपनी की उपलब्धियों को विभिन्न मंचों में विभिन्न प्लेटफार्म पर मान्यताप्राप्त होना जारी है। 2014-15 के दौरान पुरस्कारों और सम्मान की सूची निम्नवत् है-

पुरस्कार	पुरस्कार का स्तर	आवार्डी	पुरस्कारों के नाम
बागजाता माइन्स	राष्ट्रीय	भारत सरकार (श्रम मंत्रालय)	न्यूनतम चोट आवृति दर (विजेता) के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
तुरामडीह माइन्स	राष्ट्रीय	भारत सरकार (श्रम मंत्रालय)	सबसे लंबी दुर्घटनारहित अवधि (उप-विजेता) 2012 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
डॉ. ए. के. घड़ंगी, महाप्रबंधक (निगमित योजना)	राष्ट्रीय	भारत सरकार (श्रम मंत्रालय)	सतत् खनिज विकास के क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड
यूसिल	राष्ट्रीय	भारत सरकार (श्रम मंत्रालय)	• प्राथमिक चिकित्सा (मेटल) में प्रथम • रिकवरी वर्क (मेटल) में द्वितीय • स्टेच्युटरी टेस्ट (मेटल) में द्वितीय • माइन एक्सप्लोरेशन (कोल एण्ड मेटल कंबाइंड) में चतुर्थ सर्वश्रेष्ठ
श्री दिवाकर आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल	राष्ट्रीय	द माइनिंग, जियोलॉजिकल एण्ड मैटलर्जिकल इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया, कोलकाता	गैर-कोल खनन में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए श्री दिवाकर आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल को डॉ. जे. कॉग्गिन ब्राउन मेमोरियल गोल्ड अवार्ड (2013) से सम्मानित किया गया था
श्री दिवाकर आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल	राष्ट्रीय	माइनिंग इंजीनियर्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया	परमाणु खनिज के क्षेत्र में उनके सराहनीय सेवा एवं सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व के लिए आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड
यूसिल	राष्ट्रीय	इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी	सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस
श्री दिवाकर आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल	राष्ट्रीय	इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी	उद्योग रत्न 2015
तुरामडीह प्रोसेस प्लांट, यूसिल	राष्ट्रीय	ग्रीनटेक फाउण्डेशन	धातु एवं खनन क्षेत्र में ग्रीनटेक गोल्ड अवार्ड 2015 का विजेता
श्री दिवाकर आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल	राष्ट्रीय	ग्रीनटेक फाउण्डेशन	वर्ष के अग्रणी सी.ई.ओ. के रूप में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए ग्रीनटेक गोल्ड अवार्ड 2015 के विजेता
यूसिल	राष्ट्रीय	ग्रीनटेक फाउण्डेशन	अपने स्वच्छता परियोजना "सफाई हमारे हाथ" के लिए सी.एस.आर. में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए ग्रीनटेक सी.एस.आर. गोल्ड अवार्ड 2104
यूसिल	राष्ट्रीय	अकुवा फाउण्डेशन	स्थिरता की वजह के दिशा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए अकुवा फाउण्डेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2014
यूसिल	राष्ट्रीय	स्कॉच समूह	भारत का सर्वश्रेष्ठ परियोजना-2014 में निगमित सामाजिक दायित्व के लिए स्कॉच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट
कुमारी अपर्णा पांडे, उप अधीक्षक (उपकरण)	राष्ट्रीय	इंजीनियरिंग वॉच	कुमारी अपर्णा पांडे (दिल्ली में मार्च 2014) को मोस्ट इंस्पायरिंग वोमेन इंजीनियर अवार्ड

13.0 कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक-II में दी गयी है।

14.0 सार्वजनिक जमा

वर्तमान समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी व्यक्ति से कोई जमा राशि नहीं स्वीकार की है।

15.0 इकोलॉजी एवं पर्यावरण संरक्षण

आपकी कम्पनी, सतत विकास के लिए पर्यावरण जिम्मेदारी की गहरी भावना रखती है। आपकी कम्पनी अपने चारों ओर की सभी इकाईयों में इकोलॉजी तथा पर्यावरण संरक्षण पर काफी जोर देती है। जादुगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह एवं तुम्मलापल्ली में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) के हेल्थ फिजिक्स यूनिट, आवधिक रेडियोलॉजिकल एवं पर्यावरण निगरानी रखती है। बाहरी गामा विकिरण, रेडॉन कन्संट्रेशन, स्थगित कण मामले, एयरबॉर्न लॉंग लिव्ड अल्फा ऐक्टिविटी को हवा में मॉनीटर की जाती है। सतह और अन्डरग्राउण्ड में यूरेनियम एवं रेडियम जैसे रेडियोन्यूक्लाइड्स की सान्द्रता, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थ इत्यादि समय समय पर निगरानी किये जाते हैं। आपकी कम्पनी ने सभी इकाइयों के लिए पर्यावरण निगरानी एवं वैधानिक अनुपालन हेतु उप महा प्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में एक पर्यावरण अभियंत्रण प्रकोष्ठ (ई ई सी) स्थापित किया है। सतत विकास की दिशा में औद्योगिक प्रयोान के लिए सभी खानों के पुन: उपयोग और पुनरावृत्ति के लिए प्रयास किये गए हैं। सम्बंधित खान से निकटतम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र तक के खान निर्मुक्त को जमा करने के लिए कई किलोमीटर पाइप लाइन बिछाये गए हैं। टाउनशिप के मल का उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) में किया जाता है। अयस्क प्रसंस्क्रण संयंत्रों अपशिष्टों को आंशिक रूप से पुन: उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। ई.टी.पी. तथा एस.टी.पी. के उपचारित निर्मुक्त सार्वजनिक क्षेत्र में छोड़े जाने के पूर्व नियामक अनुपालन के लिए निगरानी किये जाते हैं। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सुंदरता बनाये रखने के लिए कम्पनी विकासशील पौधारोपण कार्यक्रम चलाती है। वर्ष के दौरान परिसर में 1230 की संख्या में पेड़ लगाये गए। आपकी कम्पनी अपने खानों के

समीप और टेलिंग पॉण्ड में वेस्ट रॉक डम्प की विकासशील उपचार का कार्य शुरू की है। आपकी कम्पनी एक आई.एस.ओ.-14001:2004 प्रमाणित संस्था है। उपरोक्त के साथ साथ आपकी कम्पनी टी.यू.व्ही.-एन.ओ.आर.डी. द्वारा सत्यापित आई.एस.ओ.14001:2004 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप के पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली को बनाये रखा है। आपकी कम्पनी कर्मचारियों, निवासियों और अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र में पर्यावरण संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है।

16. आई.एस.ओ.प्रमाणीकरण

आपकी कम्पनी आई.एस.ओ. 9001:2008 (गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र) आई.एस.ओ.-14001:2004 तथा आई.एस.18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रमाण-पत्र) प्रमाणीकरण को बनाये रखा है। कंपनी को मेसर्स टी.यू.वी. एण्ड मेसर्स बी.आई.एस. द्वारा पुन: प्रमाणीकरण अंकेक्षण में आई.एस.ओ. 14001:2004 तथा आई.एस. 18001:2007 के लिए अगले तीन वर्षों के लिए सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया है। आपकी कंपनी का नरवापहाड़ टाउनशिप, टी.यू.व्ही./एन.ओ.आर.डी. द्वारा आई.एस.ओ. 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम) के लिए देश में एकमात्र माननिंग टाउनशिप होना बनाये रखा है।

17. लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग (एस.एम.ई.)

आपकी कम्पनी अपने आसपास के क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्योगों के समुचित सामाजिक विकास में भूमिका अदा करती है। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता पहुँचाते हुए बहुत सारे यंत्रों एवं उपकरणों के स्वदेशीकरण में सफलता हासिल की है और इस प्रकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की है। 2014-15 के दौरान 34.93 करोड़ रुपये (गत वर्ष 11.39 करोड़ रु.) मूल्य का आदेश एस.एम.ई. पर दाखिल किया गया था। इस दिशा में आपकी कंपनी का संयुक्त प्रयास वास्तव में प्रसंशनीय है।

18. विदेश भ्रमण

इस वर्ष विदेश यात्रा पर 12.76 लाख रुपया खर्च हुआ जबकि विगत वर्ष 8.43 लाख खर्च हुआ था।

19. विज्ञापन एवं प्रचार

विगत वर्ष के रु. 549.15 लाख की तुलना में इस वर्ष विज्ञापन तथा प्रचार कार्य पर रु. 318.11 लाख खर्च हुआ। यह खर्च नियुक्तियों एवं निविदा संबंधी सूचनाओं के प्रसारण पर किया गया। आपकी कंपनी विज्ञापन एवं प्रचार के लिए वेबसाइट के उपयोग में वृद्धि में प्रगतिशील है।

20 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष के दौरान कर्मचारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लिया और प्रतियोगिताओं के माध्यम से नकद पुरस्कारों से सम्मनित किये गए थे। आपकी कम्पनी ने भाभा प्रेक्षागृह, नरवापहाड़ में दिनांक 19.05.2015 को एक कवि सम्मेलन का आयोजन की जिसमें कलकत्ता शहर के नामी कवियों ने भाग लिया था। समय समय पर कम्पनी के विभिन्न इकाइयों में हिन्दी कार्यशाला आयोजित किये जाते हैं। कार्यशाला को अधिक आकर्षक एवं प्रभारी बनाने के लिए हिंदी सम्बंधित संकायों से बाहर से लोग बुलाये जाते हैं। वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा उत्कृष्ट हिन्दी कार्यशाला आयोजन को ध्यान में रखते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कम्पनी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार यूसिल के द्वारा लगातार दूसरे वर्ष प्राप्त हुआ है, पिछले वर्ष भी आपकी कम्पनी को इस क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

विभिन्न प्राधिकरण एवं विभागों द्वारा समय समय पर आयोजित हिंदी कार्यशालाओं, सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10-12 सितम्बर, 2015 को भोपाल लाल परेड ग्राउण्ड में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में 32 वर्षों के बाद आयोजित हुआ था और इसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आपकी कम्पनी ने भी इस विशाल आयोजन में भाग लिया है।

21. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स अग्रवाल रमेश के. एण्ड कं., सनदी लेखाकार (14 आर.जे.एस. बिल्डींग, प्रथम तल, डायग्नल रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड-831001) को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 233बी के अंतर्गत मेसर्स एस. कर्मकार एण्ड कंपनी को लागत लेखाकार के लागत अंकेक्षक (कों) के रूप में नियुक्त किया गया था। लागत लेखांकन रिकार्ड नियम 2011 के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लागत लेखा अभिलेख बनाये रखा जा रहा है और इसी संबंध में लागत लेखा परिक्षा रिपोर्ट भी दाखिल किया गया था।

22. सतर्कता

निवारक सतर्कता पर संगठन के नियमों एवं विनियमों के अनुसार कड़ाई से पालन हो, इस पर जोर दिया जाता है। सभी निविदा आमंत्रण सूचना को कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तथा समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। आपकी कम्पनी में पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड ने "एंटीग्रीटी पैक्ट" के साथ जालसाजी निरोधक नीति/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्वीकृति दी है जिसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाला गया है। वर्ष के दौरान सावधिक रिपोर्ट/रिटर्न केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत किये गए हैं। आपकी कम्पनी के मुख्य सतकर्ता अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करती है। आपकी कम्पनी में 27 अक्तूबर, 2014 से 1 नवम्बर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया था।

श्री रजनीश कुमार राय को दिनांक 8.10.2014 से पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था एवं इंस्पेक्टर जेनरल ऑफ पुलिस, सी.आर.पी.एफ. के रूप में उनके नियुक्ति हो जाने पर उन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी, यूसिल के पद से दिनांक 18.04.2015 से कार्यमुक्त किया गया।

23. निदेशकों की नियुक्ति :

निदेशकों के नाम	(दिनांक... से नियुक्ति
श्री देबाशीष घोष निदेशक (वित्त)	07.02.2015
श्री आर. ए. राजीव संयुक्त सचिव (वित्त), प.उ.वि.	20.11.2014
श्री संजीव सूद, संयुक्त सचिव (आई. एण्ड एम.) प.उ.वि.	10.06.2015
श्री राजीव गॉबा मुख्य सचिव, झारखण्ड	12.08.2015

निदेशकों का समापन :

निदेशकों के नाम	(दिनांक... से समापन
श्री बी.एल. साबू, निदेशक (वित्त)	12.05.2014
श्री आर.एस. शर्मा, मुख्य सचिव, झारखण्ड	30.04.2015
श्रीमती चित्रा रामचंद्रन, संयुक्त सचिव (आई. एण्ड एम.) प.उ.वि.	10.06.2015

24. दृष्टिकोण

आपकी कम्पनी देश के योजनाबद्ध परमाणु कार्यक्रम के दिशा में ईन्धन की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखना चाहती है, जबकि झारखण्ड में सिंहभूम क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तुम्मलापल्ली परियोजना को चालू करना प्राथमिकता के आधार पर जारी है। देश के यूरेनियम उत्पादन में तुम्मलापल्ली का सफल संचालन एक महत्वपूर्ण पूँजी है। तुम्मलापल्ली में प्रक्रिया प्रौद्योगिकी उत्पाद के निर्बाध अवक्षेपण हेतु निरन्तर उन्नति के अधीन है। तुम्मलापल्ली के चारों ओर सामर्थ्य विस्तारण नए खानों एवं संयंत्रों का निर्माण, उत्पाद का अनुप्रवाह प्रसंस्करण इत्यादि की योजना भी बनाई गई है।

स्थानीय आबादी की सेवा एवं उनके जीवन में परिवर्तन लाना हमेशा से आपकी कंपनी का मार्गदर्शी दर्शन रहा है। कर्नाटक में गोगी, मेघालय में के.पी.एम., आंध्र प्रदेश में लांबापुर के संभावित उत्पादन केन्द्रों के आसपास के स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं तथा यूरेनियम खनन के दुस्प्रभावों के मिथकों की शमन की दिशा में प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है।

25. निदेशकों का उत्तरदायित्व सम्बंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकगण बताते हैं कि :

(i) वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है ।

(ii) आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा-नीतियों को अपनाया है जो साधारणतया स्वीकृत लेखा उद्देश्यों के लिए मान्य हैं । इसे संगतरूप से अपनाया गया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया गया है जो कि विवेकसंगत तथा न्यायपूर्ण है जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में लाभ हानि संबंधी सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया जा सके ।

(iii) आपके निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी सुरक्षा एवं बचाव तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अभिलेख रखने में मुख्य रूप से पर्याप्त सावधानी रखी है ।

(iv) आपके निदेशकों ने 'चालू संस्थान' के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है ।

26. आभार प्रदर्शन

आपकी कम्पनी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिश्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, झारखण्ड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम तथा अन्य मंत्रालयों के विभाग और भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संवैधानिक लेखा परीक्षा, मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-iv, नई दिल्ली, बैंकर्स एवं सभी अन्य एजेंसियाँ जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी से संबंधित है, द्वारा निरन्तर प्राप्त दिशा-निर्देश एवं सहायता के लिए आभार प्रकट करती है। आपकी कम्पनी सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट फॉर माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स एण्ड ग्राउण्ड कन्ट्रोल, कोलार, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर तथा इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से प्राप्त प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की दिशा में वैज्ञानिकी एवं अभियंत्रण सहयोग की भी प्रशंसा करती है। कम्पनी, कर्मचारियों को भी उनके हार्दिक प्रयासों एवं कठिन परिश्रम के लिए भी आभार प्रकट करती है। कम्पनी के कर्मचारी यूनियन एवं अधिकारी यूनियन के द्वारा दिये गये समर्थन के लिए भी कम्पनी आभार प्रकट करती है। आपके कम्पनी यूसिल की इकाईयों के आसपास निवास करने वाले समुदायों स्थानीय मिडिया, एन.जी.ओ. तथा समुदाय के विशिष्ट नागरिकों द्वारा दिये गये समर्थन के लिए भी आभार प्रकट करती है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

(डी.आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता
दिनांक : 30 सितम्बर 2015

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

कम्पनी नियम, 2014 के अन्तर्गत अपेक्षित विवरण

क) ऊर्जा संरक्षण

अ) ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किये गए/अपनाए गए:

i) तुरामडीह मिल में मोटर-ड्राइव की जगह गुरूत्वाकर्षण प्रवाह का उपयोग करके स्लरी ट्रांसफर के लिए डिजाइन में संशोधन।

ii) कुल 25 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़े ग्रीड का संस्थापन।

iii) ऊर्जा-कुशल मोटर का प्रयोग।

iv) एल.ई.डी. फिक्सचर्स का उपयोग।

v) तुरामडीह मिल में क्षैतिज बेल्ट फिल्टर्स में व्ही.व्ही.व्ही.एफ. ड्राइव का संस्थापन।

ब) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को लागू किया जाता है-

i) कुल 70 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़े ग्रीड की स्थापना।

ii) चुम्बकीय प्रतिबंध के सिद्धांत पर काम करने वाले एनर्जी सेवर्स लाइटिंग पेनल्स की स्थापना।

iii) ऊर्जा-कुशल मोटर का प्रयोग।

iv) एल.ई.डी. फिक्सचर्स का उपयोग।

स) (अ) एवं (ब) उपायों को अपनाये जाने के बाद सम्बंधित क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कमी आएगी ।

विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

आपकी की कम्पनी निर्यात व्यापार में संलग्न नहीं है तथापि कलपूर्जों एवं पूँजीगत सामानों के क्रय पर वर्ष के दौरान सी.आई.एफ. आधार पर रु. 349.92 लाख (गत वर्ष रु. 175.07 लाख) रुपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया ।

प्रपत्र-बी

अनुसंधान तथा विकास तथा प्रौद्योगिकी ग्रहण करने के सम्बंध में विवरण प्रपत्र :

अनुसंधान एवं विकास (आर.एण्ड डी.)

विशेष क्षेत्र जहाँ अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया

क) सिंहभूम अपरूपण क्षेत्र, झारखण्ड में यूरेनियम लोड के लिए गैर प्रविष्टि प्रकार के स्टॉपिंग विधि का विकास।

ख) यूरेनियम पैरॉक्साइड के अधिकतम अवक्षेपण के फलस्वरूप अधिक सौम्य प्रवाह के लिए एजीटेटर प्रोफाइल की पुनर्संरचना।

ग) तुम्मलापल्ली खान में हैंगवॉल लोड के रॉक मैकेनिक प्रोपर्टीज का निर्धारण।

उपर्युक्त आर.एण्ड डी. कार्यों के फलस्वरूप हुए लाभ

क) प्रस्तावित स्टॉपिंग पद्धति का सफलतम कार्यान्वयन निम्नलिखित में सहायता करेगा-

i) उच्चतम उत्पादकता

ii) प्रचालन में उन्नत सुरक्षा

ख) यूरेनियम पैरॉक्साइड अवक्षेपण के लिए एजीटेटर प्रोफाइल एवं मानकों का विकास निम्नलिखित में सहायता करेगा-

i) एम.डी.यू. के स्थान पर यूरेनियम पैरॉक्साइड (एक पर्यावरणीय सौम्य उत्पाद) का उत्पादन आरम्भ करने हेतु सक्रियता

ii) हाइड्रोजन पैरॉक्साइड का इष्टतम उपयोग

iii) राल के नुकसान में कमी

ग) तुम्मलापल्ली खान में हैंगवॉल लोड के रॉक मैकेनिक प्रोपर्टीज का निर्धारण निम्नलिखत में सहायता करेगा-

i) तुम्मलापल्ली में माइनिंग हैंगवॉल लोड के लिए उन्नत रूफ कॉन्ट्रोल प्रणाली तथा सपोर्ट सिस्टम की अभिकल्पना

ii) तुम्मलापल्ली खान के हैंगवॉल लोड में विशाल यूरेनियम रिजर्व को बन्द करना।

भविष्य की रूपरेखा

क) पम्पिंग की अनुकूलता के लिए प्रसंस्करण संयंत्र में विभिन्न स्लरी की चिपचिपाहट का अध्ययन।

ख) कॉपर टेलिंग्स में यूरेनियम प्रतिप्राप्ति पद्धति का अध्ययन।

4. अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(क) पूँजी	रु. 5.39 लाख
(ख) राजस्व	रु. 447.44 लाख
कुल	रु. 452.83 लाख

5. प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवीनीकरण

सिंहभूम अपरूपण क्षेत्र में विशिष्ट संशोधन के साथ गैर प्रविष्टि प्रकार के स्टॉपिंग पद्धति का प्रयोग, प्राद्योगिकी का एक अभिनव कदम है। उच्च उत्पादकता एवं संचालन में उन्नत सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए पद्धति एवं मापदंड बनाई गई है।

यूरेनियम पैरॉक्साइड अवक्षेपण के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एजीटेटर प्रोफाइल की अभिकल्पना, कम्पनी के लिए पर्यावरणीय अनुकूल उत्पाद के रूप में परिवर्तन तथा इसके मानकीकरण की दिशा में एक कदम है।

तुम्मलापल्ली खान में हैंगवॉल लोड से अयस्क को विकसित करने के लिए अभिनव समर्थन प्रथाओं के माध्यम से स्टॉपिंग की नवीनतम विधि तथा रॉक प्रोपर्टीज के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से ब्लास्टिंग पद्धति और संबद्ध प्रौद्योगिकी भारतीय खनन उद्योग में अद्वितीय है।

अंशधारकों को निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

निगमित अभिशासन

कम्पनी को विश्वास है कि उन्नत कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता, स्पष्टीकरण एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है और कॉरपोरेट अभिशासन के अपने समस्त कार्यों में निष्कपटता एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है ।

निदेशक मण्डल

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अन्तर्गत यूसिल एक सरकारी कम्पनी है। इसकी समस्त अभिदत्त पूँजी भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा इसके 3 शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास हैं ।

निदेशक मण्डल में कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों का उचित समिश्रण है। 20.03.2014 को बोर्ड में 10 निदेशक हैं जिनमें (i) 3 पूर्ण कालीन कार्यरत निदेशक हैं यथा- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) तथा निदेशक (वित्त) और (ii) 7 अंश कालिक गैर कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की बैठक नियमित अन्तराल पर होती है तथा यह कम्पनी के उचित निर्देशन एवं प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी है। बोर्ड में 20.03.2014 में स्वतंत्र निदेशकगण नहीं हैं।

मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बोर्ड के निदेशकों की पाँच बैठकें आयोजित की गई जो इस प्रकार हैं- 15.05.2014, 26.08.2014, 18.09.2014, 07.01.2015 और 26.03.2015। निदेशकों की संख्या, बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति एवं वार्षिक साधारण सभा तथा असाधारण बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी :

31.03.2015 को नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		18.09.14 को हुई वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल अवधि में हुई	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री डी.आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	क्रियाशील	05	05	हाँ	-
श्री एस.के.श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी)	क्रियाशील	05	05	-	-
श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त) (07.02.2015 से)	क्रियाशील	01	01	-	-
गैर कार्यकारी निदेशक					
श्री आर. एस. शर्मा, मुख्य सचिव झारखंड सरकार (30.04.2015 तक)	अंशकालीन पदेन	01	00	-	-
श्रीमती चित्रा रामचंद्रन, संयुक्त सचिव आई. एण्ड एम., प.उ.वि. (10.06.2015 तक)	अंशकालीन पदेन	04	03	हाँ	-
श्री आर. ए. राजीव, संयुक्त सचिव (वित्त) प.उ.वि. (20.11.2014 से)	अंशकालीन पदेन	02	01	-	-
श्री एन. साईबाबा, मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी.	अंशकालीन	05	02	-	-
श्री पी.एस. परिहार, निदेशक ए.एम.डी.	अंशकालीन	05	04	-	-

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार पूर्णकालिक के लिए कार्यरत निदेशकों का वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि यह भारत सरकार की कम्पनी है। अंशकालिक निदेशकों के लिए जो या तो सरकारी अधिकारी हैं अथवा सरकारी उपक्रम के अधिकारी होते हैं उन्हें बैठक में उपस्थित होने पर कोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाता है ।

लेखा परीक्षण समिति

आपकी कम्पनी की बोर्ड ने कानून की आवश्यकताओं के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षण समिति का गठन किया है। चूँकि स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 20.03.2014 को समाप्त हो गया था, बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। आपकी कंपनी की बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

पारिश्रमिक समिति

आपकी कम्पनी की बोर्ड ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। चूँकि स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 20.03.2014 को समाप्त हो गया था, बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। आपकी कंपनी की बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

आचरण नियमावली

कम्पनी के पास अपना आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है और इसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाल दिया गया है । इंटीग्रिटी पैक्ट सहित जालसाजी निरोधक नीति /व्हीसिल ब्लोअर नीति बोर्ड के द्वारा अनुमोदित हैं और यह कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

साधारण बैठकें

विगत 3 वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों/असाधारण बैठकों की संख्या इस प्रकार हैं :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2013-14 (वार्षिक साधारण बैठक)	18.09.2014	12.30 बजे	कोलकाता
2012-13 (वार्षिक साधारण बैठक)	30.09.2013	12.30 बजे	कोलकाता
2011-12 (वार्षिक साधारण बैठक)	27.09.2012	13.00 बजे	कोलकाता

फॉर्म नं एम.जी.टी.- 9
एनवल रिटर्न का सार
31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार
कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी के नियम 12(1) की धारा 92 (3) के अनुसरण में (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014

I निबंधन एवं अन्य विवरण

i	सी.आई.एन.	(सी.आई.एन. : यू 12000 जेएच 1967 जीओआई 000806)
ii	निबंधन तिथि	04/10/1967
iii	कंपनी का नाम	यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv	कंपनी का वर्ग/उप-वर्ग	सरकारी कंपनी
v	"निबंधित कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण"	पो.ऑ. जादूगोड़ा माइन्स जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड - 832102 फोन : 0657-2730122 / 222 / 353 फैक्स : 0657-2730322 ई-मेल : cs@ucil.gov.in हमसे मिलें : www.ucil.gov.in
vi	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	निबंधक एवं ट्रांसफर एजेंट, अगर कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	अप्रयोज्य

II कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान का वर्णन किया जाएगा।

क्रम.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड	कंपनी का कुल कारोबार का %
1	U_3O_8 यूरेनियम अयस्क का खनन एवं संसाधन	अप्रयोज्य	100

कंपनी पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में है।

अंशधारण विवरण

भारत के राष्ट्रपति द्वारा शेयर हेल्ड	15396175
सरकारी प्रत्याशियों द्वारा शेयर हेल्ड	03
अंशों की कुल संख्या (अंकित मूल्य 1000 रु. प्रत्येक)	15396178

ऋण

लाख रुपये में

	31.03.2015	**31.03.2014**
सुरक्षित ऋण (सावधि जमा पर ओवरड्राफ्ट)	3935.93	10627.79
असुरक्षित ऋण		
एस.बी.आई. जादूगोड़ा से अल्पकालीन सी.सी.	47500.45	38019.44
एन.पी.सी.एल. से ऋण	11825.83	10869.83
कुल	63262.21	59517.06

धारा 149 (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

आपकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। आपकी कंपनी में 20.03.2014 से स्वतंत्र निदेशक नहीं है और इसलिए धारा 149(6) के अंतर्गत परिकल्पित स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा नहीं हुई है।

धारा 134(1) के अन्तर्गत बोर्ड एवं निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

यूसिल सरकारी कंपनी है, जहाँ निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा होती है। पारिश्रमिक इत्यादि का निर्णय डी.पी.ई. दिशा-निर्देश के आधार पर किया जाता है। निर्देशकों का कार्यकाल भी सरकार के द्वारा तय किया जाता है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के तहत बोर्ड एवं निर्देशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ-साथ निर्देशकों की नियुक्ति की निति और शर्तों के निर्धारण, सकारात्मक विशेषताओं इत्यादि के लिए मानदंड के साथ पारिश्रमिक नहीं दिया गया, क्योंकि सरकारी कंपनी को इन प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(51) के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का प्रकटीकरण निम्नवत् है :-

i) श्री डी. आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक
ii) श्री एस. के. श्रीवास्तव, निर्देशक (तकनीकि)
iii) श्री देवाशीष घोष, निदेशक (वित्त) (07.02.2015 से)
iv) श्री बी. एल. साबू, निदेशक (वित्त) (12.05.2014 तक)
v) श्री बी. सी. गुप्ता, कंपनी सचिव

कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन-उत्पीड़न का निषेध

वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और विवरण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के निषेध पर एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को यौन-उत्पीड़न पर कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

संबंधित पार्टियों से अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत वांछित सूचनाओं का खुलासा किया जाना है। इसलिए फॉर्म-ए.ओ.सी.-2 को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया गया है। जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम 2014 का नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत माँगी गई थी। सेवाओं की प्राप्ति की दिशा में संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण, वार्षिक लेखे के खातों पर अतिरिक्त नोट्स का उल्लेख 26.14 के तहत किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

यूसिल मानती है कि जोखिम, किसी व्यावसायिक गतिविधि के सन्निहित होती है और वह प्रबंधकीय जोखिम कंपनी के तत्कालिक और भावी के सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। कंपनी के पास एक प्रणाली है जो जोखिम के देखरेख करने में और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी मदद करती है।

प्रमुख विशिष्टताएँ

अनुलग्नक-I
(लाख रुपयों में)

	विवरण	2014-15	2013-14	2013-14 की तुलना में वृद्धि/(कमी)	2013-14 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
					% में
(क)	**परिचालन परिणाम**				
	टर्नओवर	**87,393.75**	79,529.93	7,863.81	9.89
	सकल आय	**89,023.96**	81,429.78	7,594.18	9.33
	सकल व्यय	**87,885.22**	79,684.41	8,200.81	10.29
	सकल लाभ	**1,133.26**	1,632.77	(499.51)	(30.59)
	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	*818.31*	1,069.45	(251.13)	(23.48)
(ख)	वर्ष के अंत की वित्तीय स्थिति				
	शेयर पूँजी	**153,961.78**	146,961.78	7,000.00	4.76
	आरक्षित एवं अधिशेष	**36,116.24**	36,516.29	(400.05)	(1.10)
	नियोजित पूँजी	**375.06**	22,220.54	(21,845.48)	(98.31)
	निवल मालियत	**190,078.02**	183,478.07	6,599.95	3.60
	सकल निरुद्ध परिसंपत्ति	**153,054.25**	148,617.15	4,437.10	2.99
	मूल्य-ह्रास	**81,715.09**	71,877.94	9,837.15	13.69
	शुद्ध निरुद्ध परिसंपत्ति	**71,339.16**	76,739.21	(5,400.05)	(7.04)
	सम्पत्ति सूची	**7,337.33**	6,315.55	1,021.77	16.18
(ग)	लाभकारिता				
	(i) प्रतिशतता :				
	बिक्री में सकल लाभ/(हानि)	**1.30**	2.05		
	बिक्री में शुद्ध लाभ/(हानि)	**0.94**	1.34		
	निवल मालियत में सकल लाभ/(हानि)	**0.60**	0.89		
	निवल मालियत में शुद्ध लाभ/(हानि)	**0.43**	0.58		
	नियोजित पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	**302.16**	7.35		
	नियोजित पूँजी में शुद्ध लाभ/(हानि)	**218.18**	4.81		
	इकाई पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	**0.74**	1.11		
	बिक्री में माल सूची	**8.40**	7.94		
	नियोजित पूँजी में बिक्री	**23301.27**	357.91		
	(ii) अनुपात में				
	चालू परिसंपत्तियों की चालू देयताएं	**0.29 : 1**	0.38 : 1		
	तत्काल परिसंपत्तियों की चालू देयताएं	**0.22 : 1**	0.32 : 1		

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

अनुलग्नक-II

31 मार्च, 2015 तथा 2014 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2014-15	2013-14	2013-14 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1	**कम्पनी का स्वामित्व**			
(क)	**अचल परिसम्पत्ति**			
	सकल ब्लॉक	**153,054.25**	148,617.15	4,437.10
	घटाया : मूल्य ह्रास	**81,715.09**	71,877.94	9,837.15
	शुद्ध ब्लॉक	**71,339.16**	76,739.21	(5,400.05)
	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	**2,513.50**	4,380.01	(1,866.51)
	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य/स्टॉक	**203,344.25**	174,229.67	29,114.58
	उप-योग (क)	**277,196.91**	255,348.89	21,848.01
(ख)	**चालू परिसम्पत्तियाँ**			
(i)	व्यापाराधीन स्टॉक, भण्डार, प्रत्यक्ष माल, फुटकर देनदारी,उपार्जित ब्याज	**15,062.70**	15,775.64	(712.94)
(ii)	नकद या वस्तु के रूप में या वस्तु से प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	**6,409.43**	8,557.05	(2,147.62)
(iii)	नकद तथा बैंक में जमा शेष राशि	**9,135.46**	12,087.91	(2,952.44)
	उप-योग (ख)	**30,607.59**	36,420.60	(5,813.01)
	योग - 1 (क + ख)	**307,804.50**	291,769.49	16,035.02
2	**कम्पनी का ऋण**			
	(क) माल, सेवाओं, चालू देनदारियों तथा अन्य प्रावधानों के लिए	**109,698.06**	99,846.03	9,852.02
	(ख) कम्पनी की शुद्ध मालियत			
	अंश पूँजी	**153,961.78**	146,961.78	7,000.00
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	**36,116.24**	36,516.29	(400.05)
	शेयर आवेदन के पैसे, लंबित आवेदन	**1,900.00**	1,000.00	900.00
	उप-योग (ख)	**191,978.02**	184,478.07	7,499.95
	(ग) आस्थगित कर दायित्व (ग)	**6,128.42**	7,445.39	(1,316.97)
	योग 2 (क + ख + ग)	**307804.50**	291769.49	16,035.02

कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक-III

31 मार्च, 2014 तथा 2013 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2014-15	2013-14	2013-14 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1	कम्पनी की आय			
	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रों के अधिग्रहण से	**86,467.64**	78,404.92	8,062.72
	(ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	**837.31**	1,018.28	(180.96)
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	**1,719.01**	2,006.58	(287.57)
	उप-योग	**89,023.96**	81,429.78	7,594.18
	(घ) अन्तिम स्टॉक में वृद्धि/(ह्रास)	**1,207.58**	(1,482.71)	2,690.30
	योग (1)	**90,231.54**	79,947.07	10,284.48
2	**कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था**			
	(क) उपभुक्त सामग्री का मूल्य	**7,070.52**	6,411.82	658.70
	(ख) कर्मचारी हित में खर्च	**27,868.71**	24,805.99	3,062.71
	(ग) वित्तीय लागत (ब्याज पर व्यय)	**5,616.45**	4,730.88	885.56
	(घ) मूल्य ह्रास और ऋणशोधन पर व्यय	**8,185.84**	7,793.44	392.40
	(ड.) अन्य व्यय	**40,351.28**	34,459.57	5,891.72
	योग (2)	**89,092.80**	78,201.70	10,891.10
3	**समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1-2)**	**1,138.74**	1,745.37	(606.62)
4	**जिसका समायोजन निम्नानुसार किया गया**			
	पूर्वकालिक समायोजन	**(5.48)**	(112.60)	107.13
	कर पूर्व लाभ	**1,133.26**	1,632.77	(499.49)
	घटाया : आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	**314.95**	563.32	(248.37)
	कर पश्चात् लाभ	**818.31**	1,069.45	(251.12)
	विगत वर्ष का लाया गया अधिशेष	**25,408.26**	24,803.18	605.09
	घटाया : मूल्य ह्रास के लिए समायोजन (शुद्ध कर)	**1,020.97**	-	
	विनियोग के पूर्व अधिशेष (4 क)	**25,205.60**	25,872.63	(667.04)
	विनियोजन			
	प्रस्तावित सामान्य आरक्षित निधि	**164.00**	214.00	(50.00)
	प्रस्तावित लाभांश	**164.00**	214.00	(50.00)
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	**33.39**	36.37	(2.98)
	उप-योग (4ख)	**361.39**	464.37	(102.98)
	अधिशेष को तुलनपत्र में ले जाया गया (4क-4ख)	**24,844.21**	25,408.26	(564.04)

आय का वर्गीकरण

मूल्य रुपए में
(करोड़ के सन्निकट)

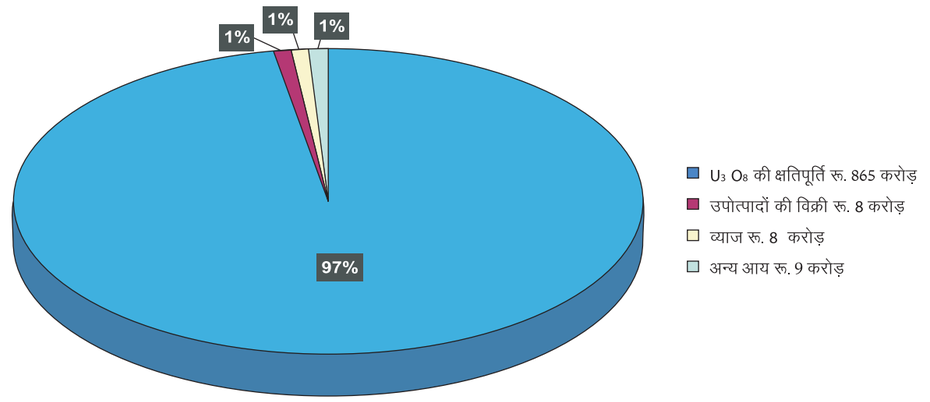

व्यय का वितरण

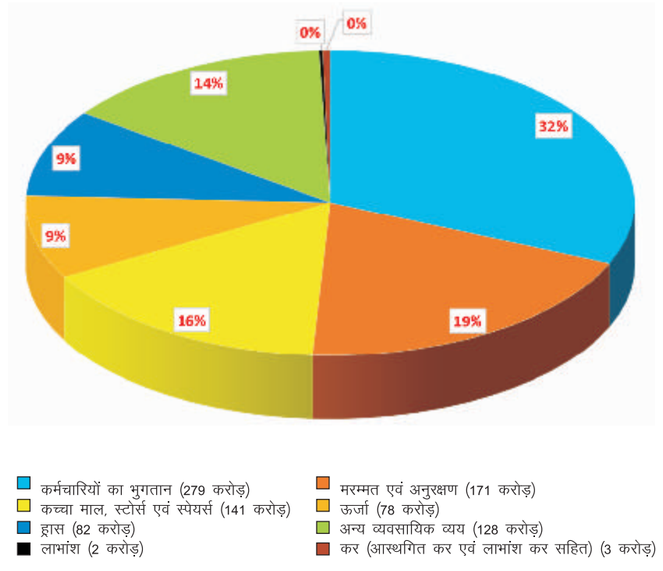

आय में वृद्धि

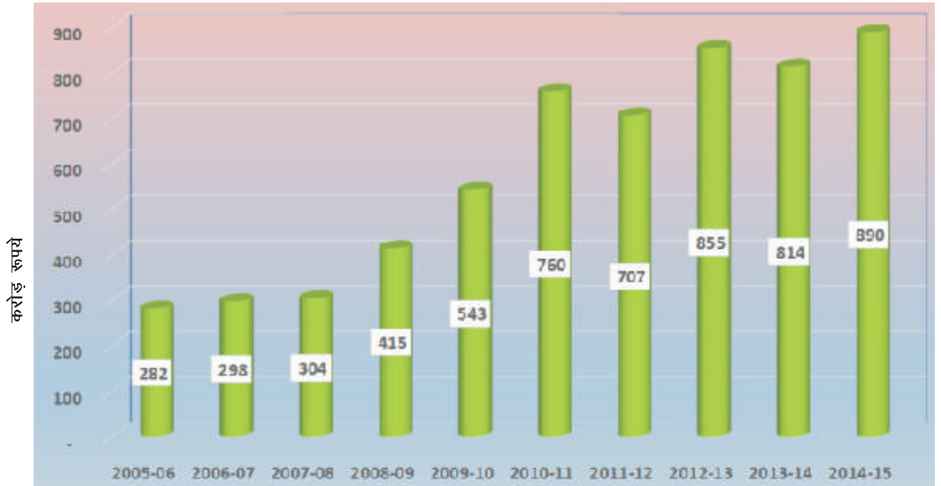

नियोजित पूंजी

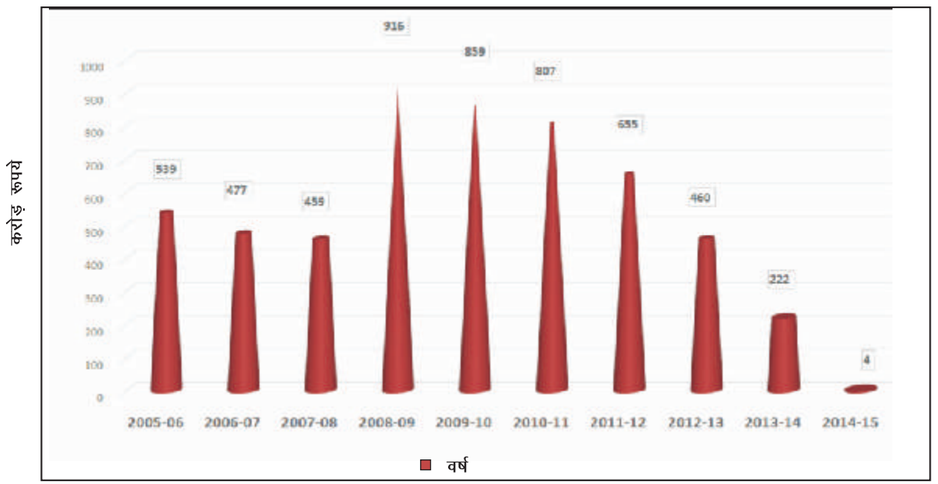

निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि

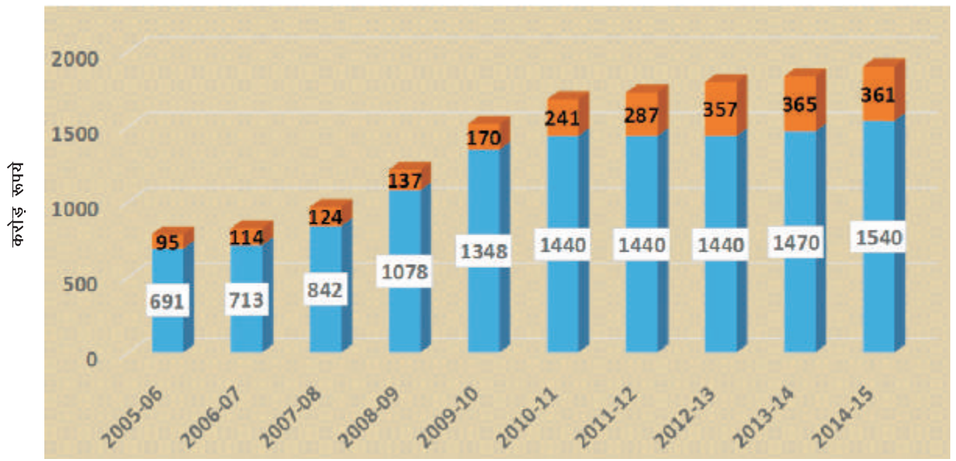

सकल तथा शुद्ध परिसंपत्ति

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्य गण

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) का संलग्न वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया जिसमें 31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र, लाभ-हानि का विवरण, समाप्त वर्ष का कैश-फ्लो विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संग्रह एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी का निदेशक मण्डल, अधिनियम की धारा 133, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित सहित सामान्यत: भारत में मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कैश फ्लो का सही एवं स्वच्छ दृष्टिकोण देने वाले इन स्टैंडअलोन वित्तीय स्टेटमेंट की तैयारी के सम्बंध में कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित मुद्दों के लिए जिम्मेदार है । इस जिम्मेदारी में कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं; चयन एवं पर्याप्त लेखांकन नीतियों का एप्लीकेशन; निर्णय एवं अनुमान जो कि जिम्मेदारएवं विवेकी हो; एवं डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं रखरखाव जो कि लेखा रिकार्ड की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करे, वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी एवं प्रस्तुती के लिए प्रासंगिक हो जो सच्चा और निश्पक्ष दृश्य उपस्थित करे और सामग्री की अशुद्धता से मुक्त हो, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वाह से हो का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व है कि लेखांकन के आधार पर वित्तीय विवरण पर हम अपना विचार प्रकट करें ।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को, लेखा एवं लेखा परीक्षा के मानकों तथा इसके तहत बनाये गए नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किये जाने को ध्यान में रखा है।

हमने अपने लेखा परीक्षा का आयोजन, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों की मांग है कि हम नैतिम आवश्यकताओं एवं योजनाओं के अनुरूप हैं और क्या वित्तीय स्टेटमेंट सामग्री अशुद्धता से मुक्त हैं, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करते हैं ।

लेखा परीक्षकों की राशि के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया गया है और वित्तीय विवरण में इसका प्रकटीकरण किया गया है। अपनायी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणों में वस्तुओं के गलत विवरण के जोखिम का निर्धारण भी शामिल किया गया है , चाहे जालसाजी या गलती से हो। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता और वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण में लेखा-परीक्षा प्रक्रिया को भी अपनाता है जो कि परिस्थितियों के अनुसार उचित है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल लेखांकन नीतियों का उचित मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया लेखांकन आकलन एवं साथ ही साथ वित्तीय विवरण के सभी पहलुओं के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल रहता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखा-परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्याय संगत आधार प्रस्तुत करता है।

मामले की अवधारणा

हम बिना अपनी राय को सीमित किये मामलों की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं:

क) वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं की दर पर, वर्ष 2010-11 के लिए प्रयोज्य दर की तरह यूरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति के राजस्व की मान्यता से सम्बंधित लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 18, पारा 3 पर परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ख) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 26.2 (क) से संबंधित जादूगोड़ा में भाटिन सहित 1312.62 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है तथा महुलडीह का 288.20 एकड़ जमीन एवं 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए, 290.45 हैक्टेयर जमीन के.पी.एम. में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हैक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है ।

ग) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या-26.2 से संबंधित राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख रु. है, का हस्तांतरण विलेख लंबित है।

घ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या-26.2 (ग) से संदर्भित मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आई.सी.सी.) की 3 एकड़ जमीन का न ही कोई प्रतिफल दिया है और न ही इसके उपयोग का प्रावधान लेखे में किया है।

ङ) पूर्व परियोजना व्यय 2651.62 लाख रुपये (गत वर्ष 2405.30 लाख रुपये) के विभिन्न लंबित मुद्दे /स्वीकृतियों की वजह से लंबित पूँजीकरण से संबंधित लेखे पर की अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 26.3 (क) से (ग)।

च) 18678.96 लाख रुपये की तुम्मलापल्ली परियोजना की लंबित पूँजीकरण से संबंधित लेखे पर की अतिरिक्त टिप्पणी की चालू परियोजना टिप्पणी संख्या 26.3 उत्पादन प्रक्रिया के गैर-स्थिरीकरण की वजह से, जिसमें वर्ष के दौरान (तुम्मलापल्ली प्लांट से भेजे गए U_3O_8 के प्रेषण में क्षतिपूर्ति के विरूद्ध प्राप्त 8756.49 लाख रुपये के निर्धारण के पश्चात) 28347.67 लाख रुपये हुआ खर्च शामिल है।

छ) कंपनी भारत सरकार को बंद तुरामडीह परियोजना की संपत्ति की उस सीमा तक के लिए 1110.60 लाख रुपये का शेयर जारी नहीं की है, जैसा कि भारत सरकार ने जून, 2003 में निर्देश दिया था।

विचार

7. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार उक्त लेखा, उसके साथ दी गई कंपनी अधिनियम के द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अपेक्षित रूप में उपलब्ध कराता है तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है-

क) जहाँ तक तुलन-पत्र का सम्बंध है, वह 31 मार्च, 2015 तक कम्पनी के मामलों से सम्बंधित है।

ख) जहाँ तक लाभ-हानि लेखा के सम्बंध में है, वह कम्पनी के लाभ इसी तारीख तक का है।

ग) जहाँ तक कैश फ्लो विवरण के सम्बंध में है वह भी कम्पनी के इसी तारीख तक का है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत वांछित के अनुसार हम लेखा परीक्षा के द्वारा व्यक्त कार्य-प्रणाली के अनुपालन करने, उसके बाद किये गए कार्यवाही और कंपनी के लेखे एवं वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा जारी किये गए बयान अनुलग्नक-I में देते हैं।

2) जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) की उप-धारा (4ए) के सम्बंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2015 (“आदेश”) द्वारा मांगा गया, हम परिशिष्ट में आदेश के पैरा 3 तथा 4 में वर्णित मामले पर बयान देते हैं ।

3) जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदन देते हैं कि :

क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएं उपलब्ध कराई गई हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षणके लिए जरूरी थे।

ख) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखा खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातों की जाँच के दौरान देखने को मिला।

ग) तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी में समावेश है लेखा-खाता के अनुसार है।

घ) हमारी राय में उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय स्टेटमेंट अधिनियम की धारा 133 के तहत कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित निर्दिष्ट लेखा मानक के अनुरूप है ।

ङ) 31 मार्च, 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा ध्यान में लिया गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के आधार पर नियुक्त किये जा रहे निदेशक में कोई भी अयोग्य नहीं हैं।

च) अन्य मामलों के सम्बंध में हमारी राय में कम्पनी (अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल करने योग्य अन्य मामलों के सम्बंध हमारी राय में, हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमे दिये गए स्पष्टीकरण के अनुरूप निम्न हैं:

(i) कम्पनी ने अपने वित्तीय बयानो-संदर्भ लें वित्तीय स्टेटमेंट की टिप्पणी संख्या 26.4 में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

(ii) प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के अनुसार, कम्पनी के पास डेरायवेटिव कन्ट्रैक्ट सहित किसी भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसकी वजह से कोई भी सामग्री निकट घाटा में हो।

(iii) प्रबंधन के द्वारा प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के अनुसार, कोई भी वैसी राशि नहीं थी जिसे कम्पनी के द्वारा निवेषक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक हो।

कृते **यू. नारायण एण्ड क.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 000935सी

(अजय छाबड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 071431

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25.08.2015

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - I

(यहाँ तक की तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट की धारा "आय कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत पैरा 1 में उल्लिखित)

1) यदि कम्पनी का चयन विनिवेश के लिए हुआ है, परिसम्पत्तियों (अमूर्त सम्पत्ति और भूमि सहित) एवं देनदारियां (प्रतिबद्ध एवं सामन्य रिजर्व सहित) के मूल्यांकन के संदर्भ में एक सम्पूर्ण स्थिति का रिपोर्ट, विनिवेश प्रक्रिया की विधा और वर्तमान स्तर के साथ जाँच की जा सकती है।

चूँकि कम्पनी का चयन विनिवेश के लिए नहीं हुआ है, उपरोक्त अपयोय है ।

2) कृपया सूचित करें कि क्या ऋण/उधार/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/छोड़ दिये जाने के कोई मामले हैं, यदि हैं तो उसके कारण और शामिल राशि।

यह ध्यान दिया गया था कि वर्ष के दौरान प्रबंधन के अनुसार पाँच साल से परे अप्रतिलभ्य और बकाया 348921.00 लाख रुपये की आपूर्तिकर्ता अग्रिम को कुल राशि के रूप में छोड़ दिया गया है। ऋण/उधार/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/छोड़ दिये जाने के और कोई कारण नहीं हैं।

3) थर्ड पार्टी के पास पड़े हुए सामानों तथा सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त सम्पत्तियों के समुचित रिकार्ड रखे जाते हैं।

प्रबंधन से प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, थर्ड पार्टी के पास कोई सामग्री नहीं है। हमें दिये गए विश्लेषण के अनुसार, वर्ष के दौरान सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

4) सभी कानूनी मामलों (बाहरी और स्थानीय) पर व्यय के लिए एक यांत्रिकीकरण निगरानी की विचाराधीनता और मौजूदगी/प्रभावशीलता के कारणों सहित लंबित कानूनी/मध्यस्थता वाले मामलों की समय-वार विश्लेषण की रिपोर्ट दी जा सकती है।

लंबित कानूनी/मध्यस्थता वाले मामले तिथि-वार, बिना तिथि-वार विवरण, जैसा हमें उपलब्ध कराये गए, अनुसूची-'1 क' के रूप में चिन्हित किये जा रहे हैं। मामलों की विचाराधीनता के लिए कारणों के संबंध में वांछित मांगी गई सूचनाएं प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

किये गए कानूनी खर्च इसके बुरे-भले को ध्यान में रखते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। हमारी जाँच द्वारा यह पाया गया कि सभी कानूनी मामलों पर व्यय के लिए यांत्रिकीकरण की पर्याप्त निगरानी की मौजूदगी है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

(यहाँ तक की तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट की धारा "अय कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत पैरा 2 में उल्लिखित)

(i) (क) कम्पनी अचल सम्पत्ति के विवरण और परिस्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड की बनाये रख रही है।

(ख) प्रबंधन के द्वारा तीन वर्षों के लिए सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम डिजाइन के अनुसार अचल सम्पत्तियों की भौतिक जाँच की जा रही है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और इसकी सम्पत्ति की प्रकृति के संदर्भ में जिम्मेवार है। कार्यक्रम के अनुसरण में वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल सम्पत्तियों के एक हिस्से की भौतिक जाँच की जा रही है और कथित जाँच में कोई सामग्री विसंगति ध्यान में नहीं लाई गई।

(ii) (क) जैसा कि हमें बताया गया, सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान स्वतंत्र अनुभवियों से उचित अंतराल पर की गई।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं की भौतिक जाँच की विधि कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के आुसार न्यायसंगत है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है। पुस्तक रिकॉर्ड की तुलना में सामग्रियों के भौतिक सत्यापन पर पाए गए विसंगति सामग्री नहीं थे और उन्हें लेखा-बही में ठीक कर लिया गया है।

(iii) जैसा कि सूचित किया गया, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम , 2013 की धारा 189 के अतर्गत देखे जा रहे रजिस्टर में वर्णित कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। इसलिए कथित आदेश के खण्ड 3(iii), (iii)(क) एवं (iii)(ख),कम्पनी के लिए अप्रयोय हैं।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्या के अनुसार कम्पनी को भण्डार, संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण एवं अय सम्पत्तियों के क्रय तथा सामानों के बिक्री के सम्बंध में आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त है जो इस कम्पनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुकूल है। इसके अलावे कम्पनी की पुस्तकों और रिकार्डों के हमारी जाँच के आधार पर और हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्या के आधार पर, न तो हमें पता चला है और न हीं कम्पनी की उक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में बड़ी कमजोरी दूर करने में किसी भी जारी विफलता की जानकारी दी गई है।

(v) हमें दी गई जाकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार, कम्पनी ने धारा 73,74,75 एवं 76 के अर्थ के अंतर्गत किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और उसके अंतर्गत अधिसूचित हद तक नियम बनाये गए।

(vi) हमने मोटे तौर पर उत्पादों के सम्बंध में कम्पनी के द्वारा रखे जाने वाले लेखों की पुस्तकों का पुन:अवलोकन किया, भारत सरकार द्वारा बनाये गए नियमों काअनुसरण किया और पाया कि कानून की धारा 148 की उप-धारा (1) के अतर्गत लागत रिकार्ड के रखरखाव की समीक्षा की गई है और मंतव्यों के अनुसार प्रथम दृष्ट्या निर्धारित खाते और रिकार्ड बना लिये गए हैं और रख-रखाव किये जा रहे हैं। तथापि हमने इस दृष्टिकोण से कि क्या वे वास्तविक या पूर्ण हैं, की कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से सम्बंधित लागत लेखा परीक्षा पूर्ण कर ली गई है।

(vii) वैधानिक बकाये के सम्बंध में हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार :

(क) कम्पनी आमतौर पर भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपयुक्त प्राधिकारियों के लिए प्रयोय उप कर एवं अय सामग्री वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी राज्य बीमा, कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

(ख) भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उप कर एवं अय सामग्री वैधानिक बकाया जमा, 31 मार्च, 2015 को देय तिथि से छः माह के लिए बकाया के सम्बंध में किसी प्रकार की अविवादित राशि देय नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी राय बीमा, कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

(ग) विवादित लेखे में नहीं जमा किये गए आय कर एवं बिक्री कर के देय राशि का विवरण निम्नवत् है:-

संविधि की प्रकृति	बकाए की प्रकृति	राशि(लाख रु. में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	राशि से सम्बंधित अवधि
बिक्री कर अधिनियम	वाणिज्यिक कर	0.91	अपीलीय प्राधिकारी	1997-98 एवं 1998-99
बिक्री कर अधिनियम/ मूल्य वर्धित कर अधिनियम	वाणिज्यिक कर	392.19	अपीलीय प्राधिकारी	2002-03 एवं 2005-06
बिक्री कर अधिनियम/ मूल्य वर्धित कर अधिनियम	वाणिज्यिक कर	12.45	अपीलीय प्राधिकारी	2009-10
आय कर अधिनियम	आय कर	501.98	अपीलीय प्राधिकारी	2005-06 2007-08 2008-09

(घ) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई निधि हस्तांतरित करने के लिए किसी राशि की आवश्यकता नहीं थी।

(viii) कम्पनी को कोई संचित घाटा नहीं है और आज की तारीख और/या तत्कालिक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष के अंत में इसे नकद नुकसान नहीं हुआ है।

(ix) हमारे द्वारा किये गए कम्पनी के रिकॉर्ड की जाँच और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी को तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंक के अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है। कम्पनी ने कोई डिबेंचर नहीं जारी किया है।

(x) हमारे द्वारा किये गए कम्पनी के रिकॉर्ड की जाँच और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से दूसरों के द्वारा लिये गए किसी भी कर्ज या अग्रिम के लिए गारंटी नहीं किया है।

(xi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में समग्रता आधार पर ऋण, प्रयोजन के लिए लागू किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए वे प्राप्त किये गए थे।

(xii) कम्पनी बुक एवं रिकार्डों के परीक्षण के दौरान, भारत में प्रचलित लेखा परीक्षण के अनुसरण में लेखा परीक्षा किया गया है और हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्तमान वर्ष में कम्पनी पर किसी प्रकार धोखा न तो देखा गया, न ही प्रबंधन द्वारा हमें इस प्रकार की कोई सूचना दी गई है।

कृते **यू. नारायण एण्ड क.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 000935सी

(अजय छाबड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 071431

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25.08.2015

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी प्रबंधन का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यावसायिक संस्थान के निर्धारित मानक के तहत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 26-08-2014 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डों के आधार पर किया गया है।

मेरे द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
नियंत्रक
ह./-

सुपर्णा देब
मुख्य निदेशक
मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.09.2014

31 मार्च, 2015 की स्थिति का तुलन-पत्र

(लाख रुपयों में)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
I.	**इक्विटी एवं देयताएँ**			
	1. अंशधारियों की निधियां			
	(क) अंश पूँजी	1	153,961.78	**146,961.78**
	(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	36,116.24	**36,516.29**
	3. लंबित शेयर एप्लीकेशन का आवंटन		**1,900.00**	**1,000.00**
	2. गैर चालू देयताएँ			
	(क) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	3	6.128.42	**7,445.39**
	(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	4	1,027.54	**922.21**
	(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	4,585.35	**3,604.54**
	3. चालू देयताएँ			
	(क) अल्पकालीन उधार ग्रहण	6	63,262.21	**59,517.06**
	(ख) व्यापार देय	7	5,190.05	**4,152.92**
	(ग) अन्य चालू देयताएँ	8	31,962.27	**28,974.15**
	(घ) अल्पकालीन प्रावधान	9	3,670.64	**2,675.15**
	कुल		307,804.50	**291,769.49**
II	**परिसम्पत्तियाँ**			
	1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
	(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ			
	(i) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10क	70,332.54	**75,679.84**
	(ii) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10ख	1,006.62	**1,059.37**
	(iii) प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य	11	203,344.25	**174,229.67**
	(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	12	2,513.50	**4,380.01**
			277,196.91	**255,348.89**
	2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
	(क) माल सूची	13	7,337.33	**6,315.55**
	(ख) प्राप्तियोग्य व्यापार	14	7,009.70	**8,883.16**
	(ग) नकद एवं बैंक जमा	15	91,135.46	**12,087.91**
	(घ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	16	6,409.43	**8,557.05**
	(ड.) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	17	715.67	**576.93**
			30,607.59	**36,420.60**
	कुल		307,804.50	**291,769.49**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		25		
लेखे पर की टिप्पणियाँ		26		

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियाँ लेखे का एक अभिन्न अंग है ।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है ।
कृते **यू. नारायण एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 000935सी

(अजय छाबड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 071431
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25.08.2015

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)

एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का लेखा

(लाख रुपयों में)

		टिप्पणी संख्या	2014-15	2013-14
I	**प्रचालन से प्राप्त राजस्व**	18	87,304.95	**79,423.20**
II	**अन्य आय**	19	1,719.01	**2,006.58**
III	**कुल राजस्व (I+II)**		89,023.96	**81,429.78**
IV	**व्यय**			
	उपभुक्त सामग्री की लागत	20	7,070.52	**6,411.82**
	तैयार माल एवं प्रगतिधीन कार्य के सम्पत्तिसूची में परिवर्तन	21	(1,207.58)	**1,482.71**
	कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यय	22	27,868.71	**24,805.99**
	वित्तीय लागत (ब्याज पर व्यय)		5,616.45	**4,730.88**
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	10क तथा 10ख	8,185.84	**7,793.44**
	अन्य व्यय	23	40,351.28	**34,459.57**
	कुल व्यय (iv)		87,885.22	**79,684.41**
V	**अपवाद एवं असामान्य मदों एवं कर के पूर्व लाभ**		1,138.74	**1,745.37**
VI	**असामान्य मदें**			
	जोड़ा : पूर्वकालिक समायोजन	24	(5.48)	**(112.60)**
VII	**कर पूर्व लाभ (V+VI)**		1,133.26	**1,632.77**
VIII	**कर पर व्यय**			
	चालू कर		1,225.41	**1,041.98**
	पूर्व वर्ष के लिए		(119.20)	**123.97**
	आस्थगित कर		(711.26)	**(602.63)**
IX	**वर्ष के लिए लाभ(/(हानि) (VII-VIII)**		818.31	**1,069.45**
X	**प्रति साम्यिक शेयर आय**			
	(1) बेसिक (रू.)		5.51	**7.42**
	(2) डायल्यूटेड (रू.)		5.47	**7.36**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		25		
लेखे पर की टिप्पणियाँ		26		

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियाँ लेखे का एक अभिन्न अंग है ।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है ।
कृते **यू. नारायण एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 000935सी

(अजय छाबड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 071431
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25.08.2015

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)

एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

टिप्पणी-1

अंश पूँजी

(लाख रुपयों में)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 1,000 रुपये के 2,50,00,000 साम्यिक अंश (गत वर्ष 2,50,00,000)	**250,000.00**	250,000.00
निर्गमित अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
क) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,00,000 (गत वर्ष 1,00,000) साम्यिक अंश जिसका भुगतान 581/- रुपये तक नगद से भिन्न रूप में तथा 419/- रुपये नगद मूल्य लेकर किया गया ।	**1,000.00**	1,000.00
ख) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,853/- (विगत वर्ष 1853/-) साम्यिक अंश का आबंटन से भिन्न प्रतिदाय के लिये पूर्ण प्रदत्त में किया गया ।	**18.53**	18.53
ग) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,52,94,325/- (विगत वर्ष 1,45,94,325/-) साम्यिक अंश जिसका नगद भुगतान किया गया ।	**152,943.25**	145,943.25
कुल	**153,961.78**	146,961.78

1.1 कम्पनी के पास रु. 1000/- प्रति अंश सम मूल्य के साम्यिक अंश का सिर्फ एक वर्ग है। प्रत्येक अंश धारक प्रति अंशधारी एक मत के लिए योग्य होता है। निदेशक मंडल के द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश की स्थिति के अलावे अनुवर्ती वार्षिक आम बैठक में अंशधारक के अनुमोदन के आधार पर होता है।

1.2 बकाया साम्यिक अंश के आंकड़ों का पुनर्मिलान

	2014-15	2013-14
वर्ष के आरम्भ में बकाया साम्यिक अंश	14,696,178	14,396,178
वर्ष के दौरान आबंटित साम्यिक अंश	7000,000	300,000
वर्ष के अंत में बकाया साम्यिक अंश	15,396,178	14,696,178

1.3 साम्यिक अंश का 15396175 संख्या (% संघटित -100%) भारत के राष्ट्रपति के नाम है।

टिप्पणी-2

आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
I	**आरक्षित निधि**		
	विगत वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	**2.11**	2.11
II	**निवेश भत्ता उपयोग आरक्षित निधि**		
	विगत वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	**190.71**	190.71
III	**सामान्य आरक्षित निधि**		
	विगत वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	**10,905.21**	10,701.21
	जोड़ा: लाभ एवं हानि खाते से स्थानान्तरण	**164.00**	214.00
		11,079.21	10,915.21
IV	**अधिशेष**		
	विगत वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	25,408.26	24,803.18
	घटाया : मूल्य ह्रास के लिए समायोजन (कर का शुद्ध)	1,020.97	-
		24,387.29	24,803.18
	जोड़ा : वर्ष का लाभ	818.31	1,069.45
	विनियोजन पूर्व अधिशेष (I)	25,205.60	25,872.63
	विनियोजन		
	सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	164.00	214.00
	प्रस्तावित लाभांश	164.00	214.00
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	33.39	36.37
	कुल विनियोजन (ii)	361.39	461.37
	विनियोजन पश्चात् अधिशेष (I-II)	**24,844.21**	25,408.26
	कुल (I से IV तक)	**36,116.24**	36,516.29

2.1 मूल्य ह्रास, परिशोधन और कमी पर लेखांकन नीति में खुलासा के रूप में कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुसूचि II में विशिष्टिता के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 के कानून, कंपनी के अनुमानित उपयोगी समय के लिए लागू किए गए हैं। तद्नुसार अशोध्य ऋण के मूल्य को संशोधित / संशोधित के ऊपर मूल्य ह्रासित / शेष उपयोगी समय में मूल्य ह्रासित किया जा रहा है। अचल संपत्तियों का लिखित मूल्य जिनका समय 1ली अप्रैल 2014 को समाप्त हो गया है, लाभ-हानि लेखे के प्रारंभिक जमा में कर का शुद्ध समायोजित किया गया है।

टिप्पणी-3

आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
क)	**आस्थगित कर देयताएँ**		
	अचल संपत्ति से सम्बंधित	**7,790.73**	8,799.09
ख)	**आस्थगित कर सम्पत्तियाँ**		
1.	अप्रयुक्त भण्डार के लिए प्रावधान	**90.98**	87.95
2.	छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान	**1,304.38**	1,043.45
3.	खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	**68.76**	57.12
4.	राजस्व को प्रभारित पूर्वप्रदत्त व्यय	**1.84**	2.35
5.	सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	**106.97**	82.23
6.	कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	**89.38**	80.60
		1,662.31	1,353.70
आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		**# 6128.42**	7,445.39

निश्चित मूर्त संपत्तियाँ रु. 525.72 लाख (गत वर्ष शून्य) (संदर्भ टिप्पणी 2.1) के उपयोगी जीवन में संशोधन हेतु सामान्य आरक्षित अनुवर्ती के विरूद्ध समायोजन पर विचार के पश्चात।

टिप्पणी-4

अन्य दीर्घकालिक देयताएँ

		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को देयताएँ	**1,027.54**	922.21
	कुल	**1,027.54**	922.21

टिप्पणी-5

दीर्घकालिक प्रावधान

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**3,850.95**	3,039.46
2.	सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	**359.05**	239.60
3.	खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	**202.30**	168.04
4.	कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	**173.05**	157.44
	कुल	**4,585.35**	3,604.54

टिप्पणी-6

अल्प कालीन उधार ग्रहण

		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
क)	**प्रतिभूत**		
1.	बैंक से ऋण (स्थिर जमा के विरुद्ध अधिक निकासी)	**3,935.93**	10,627.79
ख)	**अप्रतिभूत**		
1.	बैंक से ऋण	**47,500.45**	38,019.44
2.	अन्य संस्थानों से ऋण	**11,825.83**	10,869.83
	कुल	**63.262.21**	59,517.06

6.1 अप्रतिभूत ऋण का विवरण

बैंकों/संस्थानों के नाम	ऋण के प्रकार	ऋण की सीमा	31.03.2015 तक बकाया ऋण	ब्याज की दर
एसबीआई जादूगोड़ा	नकद उधार	50,000.00	**47,500.45**	10%
न्यूक्लीयर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	ऋण	10,000.00	**11,825.83**	9.56%
कुल			**59,326.28**	

टिप्पणी-7

व्यापार देय

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	फुटकर देनदारियाँ		
	क) एस.एस.आई. अण्डरटेकिंग	**33.30**	8.28
	ख) अन्य	**5,156.75**	4,144.64
	कुल	**5,190.05**	4,152.92

7.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थाओं से सम्बंधित प्रकटीकरण

विवरण		
31 मार्च को बकाया मूलधन	**482.90**	57.25
31 मार्च को उस पर प्राप्य एवं अदत्त ब्याज	**25.02**	3.75
आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किया गया ब्याज	**-**	-
वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्त्ता को निर्धारित तिथि को भुगतान किया गया	**3,184.97**	815.86
विलंब अवधि के लिए प्राप्य एवं देय	**25.02**	3.75
31 मार्च को अदत्त उपचित एवं शेष ब्याज	**33.30**	8.28
बाद के वर्षों में शेष एवं देय ब्याज की राशि	**33.03**	8.28

7.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थाओं के बारे में प्रकटीकरण, संबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है ।

टिप्पणी-8

अन्य चालू देयताएँ

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को देयताएँ	**19,469.01**	18,555.46
2.	कर्मचारियों एवं ए.ई.सी.एस. को देयताएँ	**6,504.90**	4,227.11
3.	के.पी.एम. परियोजना के लिए सरकार से सहायक अनुदान	**754.45**	1,086.53
4.	ए.एम.डी. से गोगी परियोजना के लिए प्राप्त निधि	**1,639.07**	1,668.28
5.	सरकारी संस्थानों को देयताएँ	**2,768.74**	2,773.26
6.	कर एवं शुल्क के लिए देयताएँ	**639.23**	485.73
7.	अन्य व्यय हेतु देयताएँ	**186.87**	177.78
	कुल	**31.962.27**	28,974.15

8. वर्ष 1996 में कम्पनी ने बन्द तुरामडीह परियोजना की परिसम्पत्ति को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) को 2322 लाख रुपये की राशि का हस्तांतरण किया था। तुरामडीह खान के पुन: खुलने पर परिसम्पत्तियों को वापस ले लिया। सीआरपीएफ द्वारा लिये गये 3467 रुपये की राशि के कुल दावे के विरूद्ध 2500 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष 967 लाख रुपये अंतिम लंबित लेखा भुगतान में प्रावधित किया गया।

9. भारत सरकार का 1110.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1110.60 लाख रुपये) जो बन्द तुरामडीह परियोजना की जमीन एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ हैं, का इस्तेमाल कम्पनी कर रही है। भारत सरकार द्वारा सूचित मूल्य आधारित राशि 1110.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1110.60 लाख रुपये) का प्रावधान लेखे में किया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या 20/12 (1)/95-पीएसयू/180, दिनांक 18 जून 2003 द्वारा यथानिर्देशित परिसम्पत्तियों की सीमा तक कम्पनी द्वारा भारत सरकार को शेयर जारी किया जाएगा।

10. अनुसंधान गवेषण हेतु परमाणु खनन निदेशालय एवं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड (यूसिल) के बीच कर्नाटक के गुलवर्ग जिले में गोगी परियोजना हेतु खनन गवेषण द्वारा संभावित प्रचालन कार्य करने के लिए 6.3.2007 को एक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसके लिए निधि ए.एम.डी. द्वारा उपलब्ध कराया गया था। यूसिल एक एजेंट के लिए कार्य करेगा एवं मालिकाना ए.एम.डी. के पास रहेगा। ए.एम.डी. से प्राप्त धन का समायोजन किये गये कार्य के साथ जाता है और यदि कोई शेष राशि हो तो उसे देयता के रूप में लेखे खाते में दर्शाया जाता है।

11. क) मेघालय के केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथावा खनन एवं मिलिंग परियोजना के ढाँचागत विकास हेतु भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कुल 4000 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4000 लाख रुपये) प्राप्त हुआ था। कुल 4000 लाख रुपये में से 3322.03 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2977.04 लाख रुपये) 31.3.2015 तक के.एच.ए.डी.सी. को दिया गया था।

ख) उपर्युक्त दर्शित शेष राशि जिसमें ब्याज सहित 76.49 लाख रुपये (पिछले वर्ष 63.57 लाख रुपये) उस पर अर्जित राशि है।

टिप्पणी-9

अल्प कालीन प्रावधान

(लाख रुपयों में)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार
1.	ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	**1,802.39**	944.55
2.	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**252.42**	217.48
3.	सेवा निवृत्ति पश्चात् कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	**6.46**	5.22
4.	कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	**120.16**	107.84
5.	बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	**61.97**	61.97
6.	सी.आई.एस.एफ. को देने हेतु प्रावधान	**-**	41.29
7.	अन्य के लिए प्रावधान	**3.52**	3.52
8.	कर के लिए	**1,226.33**	1,042.91
9.	प्रस्तावित लाभांश	**164.00**	214.00
10.	प्रस्तावित लाभांश पर कर	**33.39**	36.37
	कुल	**3,670.64**	2,675.15

टिप्पणी-10 (क) एवं (ख)

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(लाख रुपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास					शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2014 को	जोड़ा/ समायोजन	बिक्री/ समा-योजन	31.03.2015 को	01.04.2014 को	इस वर्ष के लिए	बिक्री/ समा-योजन	गत वर्ष के लिए	31.03.2015 तक कुल प्रावधान	31.03.2015 को	31.03.2014 को
(क) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ											
लीज भूमि	680.56	-	-	**680.56**	433.35	24.63	-	-	457.98	**222.58**	247.21
स्वतंत्र भूमि	3617.23	849.77	-	**4467.00**	61.79	-	-	-	61.79	**4405.21**	3555.44
फैक्ट्री भवन	20390.08	598.65	-	**20988.73**	5331.71	888.43	-	(15.63)	6204.51	**14784.22**	15058.37
अन्य भवन	9512.47	171.04		**9683.51**	2314.12	194.56			2508.68	**7174.83**	7198.35
संयंत्र एवं मशीनरी	82604.30	2209.11	-	**84813.41**	53244.43	6310.29	-	10.40	59565.12	**25248.29**	29359.87
विद्युत प्रतिस्थापन	15450.19	500.34	-	**15950.53**	5344.55	1249.79	-	-	6594.34	**9356.19**	10105.64
ओपेनकास्ट खान	12235.28	-	-	**12235.28**	3211.76	608.33	-	-	3820.09	**8415.19**	9023.52
फर्नीचर एवं साज सामान	656.03	18.57	-	**674.60**	402.73	68.12	-	-	470.85	**203.75**	253.30
उपकरण	1047.40	89.15	-	**1136.55**	573.51	283.86	-	-	857.37	**279.18**	473.89
वाहन	1025.14	0.47	-	**1025.61**	620.89	161.62	-	-	782.51	**243.10**	404.25
कुल	**147218.68**	**4437.10**	**-**	**151655.78**	**71538.84**	**9789.63**	**0**	**(5.23)**	**81323.24**	**70332.54**	**75679.84**
(ख) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ (वन भूमि में उपयोग के लिए)	1398.47	-		**1398.47**	339.10	52.75		-	391.85	**1006.62**	1059.37
योग	**1398.47**			**1398.47**	**339.10**	**52.75**	**-**	**-**	**391.85**	**1006.62**	**1059.37**
कुल योग	**148617.15**	**4437.10**	**-**	**153054.25**	**71877.94**	**9842.38**	**0**	**(5.23)**	**81715.09**	**71339.16**	**76739.21**
गत वर्ष	145357.91	3679.01	419.78	148617.15	64417.68	7879.52	419.78	0.53	71877.94	76739.21	80940.23

टिप्पणी : 1. वर्ष के लिए रुपये 7879.52 लाख (गत वर्ष रुपये 7972.06 लाख) मूल्यह्रासित करआबंटित किया गया :

क) लाभ हानि खाता में रु. 7793.44 (गत वर्ष 7795.47 लाख)

ख) परियोजना पर अप्रत्यक्ष खर्च रुपये 86.08 लाख (गत वर्ष रुपये 176.59 लाख)

ग) प्रतिधारित आय रु. 1546.68 लाख के विरूद्ध समायोजन

2. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ 553.24 एकड़ (गत वर्ष 553.24 एकड़) 1398.47 लाख रुपये (गत वर्ष रुपये 1398.47 लाख) की वन भूमि भी शामिल है जो झारखण्ड सरकार से विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त किया गया है और उसका स्वामित्व झारखण्ड सरकार के पास है ।

टिप्पणी-11

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

(लाख रुपयों में)

			31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
संचालित इकाईयाँ				
1.	जादुगोड़ा खान तथा संयंत्र		**72.73**	19.07
2.	नरवापहाड़ खान		**4.86**	0.60
3.	तुरामडीह खान परियोजना		**909.02**	1,079.94
4.	बागजाता खान परियोजना		**4,221.39**	4,451.68
5.	तुरामडीह मिल परियोजना		**261.07**	89.39
6.	बांदुहुरांग खान		**35.14**	91.00
7.	माहुलडीह खान		**713.31**	429.64
चालू परियोजनाएँ				
8.	तुमल्लापल्ली परियोजना		**186,178.96**	157,831.29
9.	तुरामडीह खान विस्तारण परियोजना		**1,376.73**	1,321.81
10.	तुरामडीह संयंत्र विस्तारण परियोजना		**4,587.24**	4,547.87
11.	तुरामडीह मैग्नेटाइट प्लांट परियोजना		**119.13**	1.95
12.	तुरामडीह पैरॉक्साइड प्लांट परियोजना		**490.23**	34.87
13.	जादुगोड़ा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड परियोजना		**241.75**	134.51
14.	तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग पॉण्ड परियोजना		**554.45**	-
15.	**परियोजना पूर्व के खर्चे**			
क)	लाम्बापुर परियोजना	**750.31**		705.81
ख)	के.पी.एम. परियोजना	**823.46**		775.33
ग)	तुमल्लापल्ली विस्तारण परियोजना	**82.76**		67.82
घ)	गोगी परियोजना	**104.89**		104.89
ङ)	भाटिन खान आधुनिकीकरण परियोजना	**869.45**		746.12
च)	रोहिल परियोजना	**5.33**		5.33
छ)	डिबॉटलेंकींग ऑफ ऑपरेशन	**2.00**		-
ज)	यूरेनियम रिकॉवरी प्लांट (मुसाबनी)	**13.42**		-
			2,651.62	
16.	स्टॉक में पूँजीगत सम्पत्ति जिसका प्रतिस्थापन/उपयोग अभी किया जाना बाकी है मार्गस्थ सहित जिसमें रु.63.18लाख (गत वर्ष रु.25.92 लाख)		**926.62**	1,790.75
	योग		**203,344.25**	174,229.67

17. चालू परियोजनाओं एवं परियोजना पूर्व की स्थिति लेखे की अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी- 26) की क्रम संख्या 26.3 में वर्णित की गई है।

टिप्पणी-12

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपयों में)

			31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	**अग्रिम पूँजी**			
	i)	प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	**10.81**	1,471.02
	ii)	अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	**-**	849.77
		कुल (1)	**10.81**	2,320.79
2.	**प्रतिभूत जमा**			
	i)	प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	**-**	-
	ii)	अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	**478.52**	478.52
		कुल (2)	**478.52**	478.52
3.	**अन्य ऋण एवं अग्रिम**			
	i)	(क) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया गृह निर्माण अग्रिम	**805.04**	1,239.89
		(ख) ठेके के कार्य के लिए अग्रिम	**1,169.15**	288.56
	ii)	अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	**49.97**	52.25
		कुल (3)	**2,024.17**	1,580.70
		कुल (1+2+3)	**2,513.50**	4,380.01

4.	**निदेशकों से बकाया ऋण एवं अग्रिम का विवरण**	**2014-15**	**2013-14**
	क) वर्ष के अंत में बकाये की राशि	**शून्य**	शून्य
	ख) फर्म अथवा प्राइवेट कम्पनी से बकाया अग्रिम जिसका कंपनी का कोई निदेशक उसका निदेशक या सदस्य है राशि रु. - शून्य (गत वर्ष- शून्य)	**शून्य**	शून्य

टिप्पणी-13

माल सूची

(लाख रुपयों में)

			31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	**माल सूची**			
	(जैसा कि प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किये गये मूल्यांकन के अनुसार लिया गया है)			
	अ) **प्रत्यक्ष सामग्रियाँ**		**269.47**	325.89
	ब) **भण्डार एवं कलपूर्जे**			
	i) भण्डार एवं कलपूर्जे	**2,581.30**		2,692.01
	ii) मार्गस्थ भण्डार	**379.73**		389.48
		2,961.03		3,081.49
	घटाया : अप्रयुक्त भण्डार के लिए प्रावधान	**267.68**		258.76
			2,693.35	2,822.73
	स) **व्यापाराधीन स्टॉक**			
	i) अयस्क	**2,662.78**		1,471.83
	ii) प्रक्रियाधीन कार्य	**1,437.66**		1,558.51
	iii) उपोत्पाद	**30.94**		8.83
	घटाया : प्रावधान (उपोत्पाद)	**3.25**		3.25
		27.69		5.58
	iv) रद्दी माल	**246.38**		131.01
			4,374.51	
	योग (अ+ब+स)		**7,337.33**	6,315.55

टिप्पणी-14

व्यापार प्राप्तियाँ

			31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	छ: महीने से अधिक			
	i) वसूली योग्य समझा गया	**-**		-
	ii) संदेहास्पद समझा गया	**-**		-
		-		-
2.	अन्य ऋण (वसूली योग्य)	**7,009.70**	**7,009.70**	8,883.16
	कुल		**7,009.70**	8,883.16

14.1 कंपनी के किसी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा कर्ज देय है, चाहे अलग अथवा संयुक्त रूप में किसी व्यक्ति अथवा किसी फर्म या प्राईवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर है अथवा निदेशक अथवा सदस्य- शून्य (गत वर्ष- शून्य)।

टिप्पणी-15

नकद एवं बैंक में जमा शेष

(लाख रुपयों में)

			31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
क)	**नकदी एवं नकदी तुल्य**			
	1.	नकद जो पास है (अग्रदाय राशि एवं टिकट सहित) जैसा कि प्रमाणित किया गया है ।	**14.99**	10.44
	2.	बैंक में जमा शेष		
		क) चालू खाता	**3,003.33**	365.22
		ख) 3 माह की परिपक्वता वाली जमा राशि (बिना ग्रहणाधिकार)		6.00
		उप योग (क) कैश फ्लो विवरण के अनुसार नकद एवं नकदी तुल्य	**3,018.32**	375.66
ख)	**अन्य बैंक अधिशेष***			
ग)	3 माह से अधिक की परिपक्वता वाली जमा राशि			
	i)	ग्रहणाधिकार के अन्तर्गत जमा (ओ डी तथा एल सी)	**4,315.69**	11,538.42
	ii)	ग्रहणाधिकार के बिना जमा	**1,801.45**	173.83
		उप योग (ख)	**6,117.14**	11,712.25
		कुल (क+ख)	**9,135.46**	12,087.91

* शून्य लाख रुपये का बैंक जमा सहित (गत वर्ष 154.03 लाख रुपये) जिसकी परिपक्वता 12 महीने की है।

* शून्य लाख रुपये का बैंक जमा सहित (गत वर्ष 154.03 लाख रुपये) जिसकी परिपक्वता 12 महीने की है।

टिप्पणी-16

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

			31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
क)	**प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई**			
	कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम		**168.03**	163.31
ख)	**अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई**			
	क) कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम		**288.14**	454.86
	ख) आपूर्तिकर्त्ताओं को दिया गया अग्रिम			
	i) वसूली योग्य समझा गया	**603.92**		594.67
	ii) संदेहास्पद समझा गया	**2.33**		0.00
		606.25		594.67
	घटाया : संदेहास्पद पेशगियों का प्रावधान किया गया	**2.33**		0.00
			603.92	594.67
	ग) ठेकेदारों, सरकारी विभागों इत्यादि को दिया गया अग्रिम		**1,229.85**	2,298.58
	घ) कर की अग्रिम राशि		**3,194.41**	4,050.17
	ड.) अन्य प्राप्तियाँ			
	i) वसूली योग्य समझा गया	**855.37**		870.30
	ii) संदेहास्पद समझा गया	**-**		-
		855.37		870.30
	घटाया : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	**-**		-
			855.37	870.30
	च) कर्मचारियों से वसूली योग्य अन्य राशियाँ		**33.76**	77.65
	छ) पूर्व-प्रदत्त व्यय		**35.95**	47.51
	योग		**6,409.43**	8,557.05

16.1 2007-08 में झारखंड सरकार के जिला खनन पदाधिकारी के पास 165.63 लाख रुपये का मैग्नेटाइट डिपॉजिट पर लेखे का राजस्व जिसमें ठेकेदार, सरकारी विभाग सहित अग्रिम है विरोध के तहत जमा किया है, जिसके विरुद्ध विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।

16.2 निदेशकों से ऋण एवं अग्रिम का विवरण	**31 मार्च, 2015**	31 मार्च, 2014
क) वर्ष के अन्त में बकाये की राशि	**शून्य**	शून्य
ख) फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी से बकाया अग्रिम जिसका कंपनी का कोई निदेशक सदस्य या निदेशक है	**शून्य**	शून्य

टिप्पणी-17

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(लाख रुपयों में)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
उपचित ब्याज		
1. बैंकों से	**101.26**	477.50
2. कर्मचारियों से	**613.63**	98.66
3. अन्य से	**0.77**	0.77
कुल	**715.67**	576.93

टिप्पणी-18

प्रचालन से प्राप्त राजस्व

		2014-15	2013-14
1.	भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनिवार्य रुप से अधिग्रहण किये गये यूरेनियम सांद्रों की क्षतिपूर्ति	**95,224.13**	83,367.17
	घटाया - तुम्मलापल्ली परियोजना से संबंधित राशि आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित	**8,756.49**	4,962.2
		86,467.64	78,404.92
2.	उपोत्पाद की बिक्री	**926.11**	1,125.01
	उप योग	**87,393.75**	79,529.93
	घटाया : उपोत्पाद पर उत्पाद शुल्क	**88.80**	106.73
	टर्नओवर (शुद्ध)	**87,304.95**	79,423.20

3. वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए मुवावजे की दर में संशोधन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसे उपयुक्त प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांद्र के क्षतिपूर्ति की लंबित अंतिम दर, वर्ष 2010-11 के लिए प्रयोज्य दर जो कि वास्तव में 2014-15 के दौरान यूरेनियम सांद्र के प्रेषण के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया था, को प्रचालन से राजस्व निर्धारण के लिए माना गया। किसी प्रकार के अंतर की गणना, जिस वर्ष दर का निर्धारण फाइनल होगा उसी वर्ष में की जाएगी।

टिप्पणी-19

अन्य प्राप्तियाँ

(लाख रुपयों में)

		2014-15	2013-14
क)	**ब्याज**		
1.	बैंकों में जमा पर ब्याज	**729.52**	1,299.39
2.	अन्य	**96.85**	93.45
	उप योग (क)	**826.37**	1,392.84
ख)	**अन्य अप्रचालन से प्राप्तियाँ**		
1.	अवशिष्ट सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राशि	**214.83**	252.17
2.	उपकरणों तथा वाहनों का किराया	**2.36**	2.76
3.	आपूर्तिकर्त्ताओं से पैकिंग सुधार भाड़ा एवं दण्ड आदि की वसूली	**70.37**	45.99
4.	निविदा प्रपत्रों की बिक्री	**10.07**	12.21
5.	देयताएँ एवं प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रही	**9.19**	3.47
6.	आवासीय प्राप्तियाँ	**280.48**	223.47
7.	विविध	**305.34**	73.67
	उप योग (ख)	**892.64**	613.74
	कुल योग (क+ख)	**1,719.01**	2,006.58

टिप्पणी-20

उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

		2014-15	2013-14
1.	उपभुक्त कच्चे माल	**7,070.52**	6,411.82
	कुल	**7,070.52**	6,411.82

टिप्पणी-21

तैयार सामग्रियों तथा प्रगतिधीन कार्य की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन

(लाख रुपयों में)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
प्रारम्भिक शेष		
अयस्क	**1,471.83**	2,838.06
उपोत्पाद	**8.83**	16.91
प्रक्रियाधीन कार्य	**1,558.51**	1,496.79
स्क्रैप	**131.01**	301.13
	3,170.18	4,652.89
अंतिम शेष		
अयस्क	**2,662.78**	1,471.83
उपोत्पाद	**30.94**	8.83
प्रक्रियाधीन कार्य	**1,437.66**	1,558.51
स्क्रैप	**246.38**	131.01
	4,377.76	3,170.18
भण्डार में पूर्ण वृद्धि/(कमी)	**(1,207.58)**	1,482.71

टिप्पणी-22

कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	वेतन, मजदूरी एवं भत्ते छुट्टी नकदीकरण सहित	**22,653.72**	20,352.19
2.	भविष्य निधि में अंशदान	**1,888.33**	1,681.79
3.	उपदान निधि में अंशदान	**1,721.54**	1,201.66
4.	कल्याण निधि में अंशदान	**1.00**	0.99
5.	सेवानिवृत्ति कोष में अंशदान	**80.05**	79.01
6.	छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय	**164.90**	327.14
7.	कर्मचारियों के कल्याणार्थ व्यय	**450.24**	353.78
8.	चिकित्सा व्यय	**908.93**	809.43
	योग	**27,868.71**	24,805.99

9. वेतन तथा मजदूरी सहित अन्य लाभ रुपये 373.08 लाख (गत वर्ष रुपये 287.07 लाख) में जल की लागत से सम्बंधित वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य लाभ में सम्मिलित नही है ।

टिप्पणी-23

अन्य व्यय

(लाख रुपयों में)

			2014-15	2013-14
1.	भण्डार एवं कलपुर्जों का उपभोग		**7,067.33**	6,694.42
2.	बिजली एवं इंधन		**7,804.88**	7,733.01
3.	मरम्मत एवं अनुरक्षण			
	क) भवन	**600.52**		480.04
	ख) मशीनरी एवं वाहन	**11,078.13**		9,358.06
	ग) अन्य	**5,463.01**	**17,141.66**	3,066.64
4.	बीमा		**48.78**	9.44
5.	दरें एवं कर, आय पर कर छोड़कर		**31.94**	20.28
6.	जल		**794.62**	675.95
7.	स्वामित्व शुल्क		**1,808.17**	1,655.81
8.	परिवहन व्यय		**938.62**	678.31
9.	सुरक्षा पर व्यय		**2,458.25**	1,929.65
10.	नगरक्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं पर व्यय		**129.81**	137.61
11.	यात्रा व्यय		**144.54**	111.67
12.	टेलीफोन व्यय		**43.88**	49.02
13.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		**38.86**	35.23
14.	तार एवं डाक व्यय		**23.20**	25.29
15.	विधि विषयक व्यय		**19.97**	5.61
16.	विज्ञापनों पर व्यय		**318.11**	549.15
17.	बिक्री कर		**188.07**	56.98
18.	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		**10.73**	5.95
19.	भाड़ा एवं हैंडलिंग प्रभार		**50.64**	77.95
20.	अप्रचलित भण्डार		**8.92**	42.25
21.	खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान		**34.26**	29.29
22.	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		**281.49**	237.03
23.	सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ		**124.28**	40.84
24.	वाहन किराया शुल्क		**447.79**	400.33
25	परामर्श प्रभार		**89.62**	81.74
26.	विविध व्यय		**302.86**	272.01
	कुल		**40,351.28**	34,459.56

27. मरम्मत एवं अनुरक्षण में उपयुक्त भण्डार के रूपये 3052.88 लाख (गत वर्ष रुपये 3050.58 लाख) सम्मिलित हैं तथा कलपुर्जो रुपये 6748.73 लाख (गत वर्ष रुपये 5157.98 लाख) कुल रुपये 9801.61 लाख (गत वर्ष रुपये 8208.56 लाख) जिसे "भण्डार एवं कलपुर्जे" में सम्मिलित नहीं किया गया ।

टिप्पणी-23

अन्य व्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

			2014-15	2013-14
28	**लेखा परीक्षकों का भुगतान में शामिल**			
	क)	सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान :		
		लेखा परीक्षकों का शुल्क	**3.03**	3.03
		कर के लिए लेखा परीक्षक	**0.70**	0.70
	ख)	आंतरिक अंकेक्षण शुल्क	**6.66**	1.88
	ग)	वैट अंकेक्षण शुल्क	**0.34**	0.34
		योग	**10.73**	5.95

टिप्पणी-24

पूर्वकालिक समायोजन

	2014-15	2013-14
व्यय		
मूल्य ह्रास	**(5.22)**	0.53
अन्य व्यय	**-**	120.09
उप-योग (क)	**(5.22)**	120.62
आय		
अन्य	**(10.70)**	8.02
उप-योग (ख)	**(10.70)**	8.02
योग (ख-क)	**(5.48)**	(112.60)

टिप्पणी-25

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत भारत में साधारणतया स्वीकृत सिद्धांत, कम्पनी 1956 के प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा अन्य प्रयोजन कानूनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है ।

2. **अनुमानों का प्रयोग :**

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण में अनुमानों एवं धारणाओं के प्रयाग की आवश्यकता पड़ती है जो कि वित्तीय विवरण के दिन परिसम्पत्ति एवं दायित्वों को सूचित करता है तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चे को सूचित करता है । उस अवधि के वास्तविक परिणामों एवं अनुमानित परिणामें के अन्तर को जानने के बाद/कार्य पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है ।

3. **स्थायी परिसम्पत्तियाँ :**

क) कुल मूल्यह्रास को घटाकर सभी निश्चित परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखलाया गया है। परियोजनाओं के मामले में लागत पूर्व परिचालन के खर्चे भी शामिल हैं ।

ख) नयी खानों के निर्माण में हुए खर्चों को खान निर्माण की अवधि में निकले अयस्क से हुई आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है ।

ग) बीमाकृत कलपूर्जे केवल निश्चित परिसम्पत्तियों के मद के सिलसिले में प्रयाग किये जा सकते हैं तथा जिनका नियमित रूप से इसमें उपयोग नहीं होता है उन्हें सम्बंधित सम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है ।

घ) सिस्टम सॉफ्टवेयर को सम्बंधित परिसम्पत्तियों के साथ पूँजी में परिणत किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिस वर्ष इसका उपयोग हुआ उस वर्ष उसे राजस्व में दिखलाया गया है ।

4. **प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य**

पूँजीगत कार्य प्रगति पर में सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा निर्माण के खर्चे शामिल हैं तथा अचल परिसम्पत्तियों की लागत जिसे उसमें अभिप्रेरित उपयोग के लिए अभी भी तैयार नहीं है को निर्माण खर्चे में शामिल किया गया है

5. **मूल्यह्रास :**

क) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि-II में वर्णित उपयोगी जीवन के आधार पर सरल रेखा पद्धति अथवा कंपनी के द्वारा बनायी गई तकनीकि अनुमान के आधार पर प्रदान की जाती है। परिसंपत्तियाँ, जिन पर तकनीकि अनुमान पर मूल्यह्रास प्रदान की जाती है, नीचे दर्शायी जा रही है-

i)	रोड, पुल एवं पुलिया	-	30 वर्ष
ii)	शॉफ्ट एवं डिकलाइन	-	21 वर्ष
iii)	विद्युत प्रतिष्ठान	-	15 वर्ष
iv)	संयंत्र एवं मशीनरी (मिल) (ट्रिपल शिफ्ट के आधार पर)	-	9.5 वर्ष
v)	रिहायशी भवन तुरामडीह (सी.आर.पी.एफ. से लिया गया)	-	45 वर्ष

ख) ओपेन कॉस्ट माइन उन्नयन पर किये गए खर्च, अत्यधिक बोझ को हटाने तथा माइनिंग बैंचेज को अद्यतन करने की तैयारी को प्रवर्तन में लाना, खान के जीवन का परिशोधन करना है।

ग) **टैलिंग पौंड**

तकनीक मूल्यांकन के आधार पर तृतीय टेलिंग्स पौण्ड (स्लाइम डैम) के उपयोग की आयु 10 वर्ष है ।

टेलिंग पौण्ड (स्लाइम डैम) के दीवार के ऊपर तक उठाने का कार्य वित्तीय वर्ष में पूरा कर इसे पूँजीगत कर दिया गया है एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसके उपयोग आयु से ह्रासित किया गया ।

घ) प्रभावित वर्ष की पूर्ण अवधि में परिसम्पत्तियों का समायोजन/निपटान मासिक यथानुपात के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित कर दिया जाता है जिसमें अगले महीने की प्रथम तिथि को अधिग्रहण की तिथि तथा महीने की अन्तिम तिथि को उसके निपटान की तिथि माना गया है।

ङ) सम्पत्ति का विस्तार या योग जो वर्तमान परिसम्पत्तियों का अभिन्न अंग है उसे उसके उपयोग की शेष अवधि के लिए ह्रासित किया गया।

च) टेलिंग्स पौण्ड के निर्माण के लिए उपयोग की गई निजी भूमि, सरकारी भूमि, वनभूमि का मूल्यह्रास उसकी उपयोगी आयु के आधार पर किया गया है।

छ) सरकारी भूमि जिसे लीज होल्ड के अन्तर्गत दिखलाया गया है तथा जिसे अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है उसे लीज अवधि तक के लिए या सम्पत्ति के उपयोग की अवधि तक के लिए जो भी पहले होता है जिसके लिए भुमि का उपयोग किया गया है उसका मूल्यह्रास किया गया है ।

ज) अमूर्त्त सम्पत्ति : वन भूमि जिसे विभिन्न खानों एवं मिलों के लिए अधिग्रहित किया गया था उसका परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उसकी सम्भावित आयु के अनुमान पर किया गया है ।

झ) बीमाकृत कलपूर्जों को संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोग की आायु से उस दर पर ह्रासित किया जाता है जो उस सम्पत्ति के लिए प्रयोज्य है तथा मूल्यह्रास की राशि को सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से बीमाकृत कलपूर्जों की आयु तक के लिए अधिग्रहण के वर्ष में लगाया गया है ।

6. **वस्तुओं का मूल्यांकन :**

क) वस्तुओं का मान :

वस्तुओं को कम लागत एवं प्राप्ति योग्य मूल्य में जो भी कम हो पर लिया गया है ।

ख) लागत सूत्र

i)	अयस्क एवं प्रगतिशील कार्य	लागत पद्धति अपनाने पर
ii)	प्रत्यक्ष सामग्री, भण्डार तथा कलपूर्जे	भारित औसत लागत मूल्य पर
iii)	मार्गस्थ एवं निरीक्षणाधीन माल	अधिग्रहित मूल्य पर
iv)	गौण-उत्पाद	परिवर्तित लागत पर
v)	स्क्रैप	अनुमानित मूल्य पर

ग) खुले औजार

खुले औजार को जारी करने के वर्ष ही बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ।

घ) प्रयोज्य सम्पत्ति

निश्चित परिसम्पत्तियों के मद जो उपयोग के बाद छोड़ दिये जाते हैं तथा जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है एवं जिन्हें निपटान के लिए रखा गया है उन्हें उनके शुद्ध लिखित मूल्य तथा प्राप्तियोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर दिखालाया जाता है ।

ड.) अयोग्य/ अप्रचलित भण्डार

पूँजीगत भंडार एवं बीमाकृत कलपुर्जों के अतिरिक्त ऐसे भण्डार व कलपुर्जे जिनका पिछले पाँच वर्षों में प्रयोग नहीं किया गया है, के लिये अयोग्य अप्रचालित भण्डार का प्रावधान किया गया है। अनपयुक्त घोषित की गई सामग्री को निपटान के लिये अलग रखा जाता है और उसके लिखित मूल्य को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ।निपटान में प्राप्त हुए मूल्य को आय में जमा कर दिया जाता है ।

7. **राजस्व की मान्यता :**

भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र के अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति को राजस्व के रूप में मान्यता दी गयी है ।

8. **अनुदान एवं सहायता :**

केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय के लिये प्राप्त अनुदान जहां अधिग्रहित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास हो, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की लागत में समायोजित किया जाता है ।

9. **अयस्क पिण्ड के विकास पर व्यय :**

वर्तमान कार्यरत खान में अयस्क पिण्ड को विकसित करने में हुए व्यय को उसी वर्ष जिसमें यह व्यय हुआ है, के लाभ हानि खाते में दिखाया गया है ।

10. **खान बंदी दायित्व :**

खान एवं खनिज (विकास व नियमन) कानून 1957(एम.एम.डी.आर. 1957) के अनुसार खान बन्द करने व पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूर्ण करने के लिये देयधन का, अयस्क भण्डार की उपलब्धता के आधार पर तकनीकी आकलन कर खान के वार्षिक खनिज उत्पादन के आधर पर लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है ।

11. सेवा निवृत्ति के लाभ :

क) भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ हानि खाता में उपार्जित आधार पर दिखालाया गया है।

ख) सेवा निवृत्ति में अंशदान कम्पनी की नीतियों के आधार पर किया जाता है तथा इसे भारत सरकार के जीवन बीमा निगम में जमा कराया जाता है एवं लाभ हानि खाता में उसी वर्ष दिखालाया जाता है जिस वर्ष यह (प्रीमियम) बकाया पड़ता है।

ग) ग्रेच्युटी तथा छुट्टी के नगदीकरण के लाभ को उपार्जित मूल्यांकन के आधार पर उसी वर्ष लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

घ) स्वौच्छिक सेवा निवृत्ति के खर्चों को उसी वर्ष राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष यह कर्मचारियों को अनुमोदित किया जाता है।

12. छुट्टी यात्रा रियायत लाभ:

छुट्टी यात्रा रियायत लाभ बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

13. विदेशी मुद्रा का लेन-देन:

विदेशी मुद्रा का लेन-देन उसी तारीख के प्रभावी दर पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख को यह लेन-देन हुआ है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा का दायित्व तथा चालू परिसम्पत्तियों को प्रभावी दर से रूपांतरित/बदला जाता है । पूँजीगत सम्पत्ति के मामले में इसके अन्तर को निश्चित परिसम्पत्तियों/पूँजी डब्ल्यू आई पी से तथा चालू परिसम्पत्ति/दायित्व के मामले में लाभ-हानि खाते में रूपांतरित किया जाता है ।

14. चालू एवं आस्थगित कर के लिए प्रावधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ को बिचारने के बाद वर्तमान के कर का प्रावधान किया गया है। आस्थगित कर जो लिखित और कर योग्य लाभ के मध्य समय की भिन्नता (टाइमिंग डिफरेंस) के फलस्वरूप कर की दरें तथ नियमों में प्रयोग के लिए किया जाता है जो आर्थिक चिट्ठा के दिन विधि अथवा पर्याप्त रूप से विधिवत् रूप में लिया जाता है। आस्थगित कर सम्पत्ति को मान्यता है तथा इसे उस अवस्था तक लिया जाता है जहाँ तक न्यायसंगत कारण है कि वह भविष्य में सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जायेगा ।

15. नकदी प्रवाह विवरण :

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग कर नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना नकद लेन-देन के प्रभावों की गैर नकदी प्रवाह प्रकृति अथवा भविष्य एवं विगत की किसी आस्थगित एवं उपार्जित प्राप्ति अथवा भुगतान के प्रभावों को समायोजित किया जाता है। कम्पनी की नियमित राजस्व आमदनी, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों द्वारा प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग दिखाया जाता है ।

16. अनुसंधान एवं विकास में व्यय :

पूँजीगत मदों से संबंधित खर्चों काो निश्चित परिसम्पत्तियों में डेबिट किया जाता है तथा प्रयोज्य दरों पर मूल्यह्रासित किया जाता है। राजस्व खर्चे जिस वर्ष हुए इन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है ।

17. पूर्व अवधि का समायोजन :

विगत वर्ष से संबंधित 50,000 रुपये से अधिक के आय/व्यय वाले मदों से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्व अवधि समायोजन के रूप में दिखलाया जाता है ।

18. उधार पूँजी पर ब्याज:

एक योग्य संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण उधार की लागत को संपत्ति के लागत के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जा रहा है। अन्य उधार की लागत खर्च के रूप में मान्य है और लाभ-हानि लेखे में लिये जाते हैं। वर्ष के दौरान उधार लागत को पूँजीकृत किया गया है।

19. पूर्वदत्त व्यय :

अवधि समाप्त होने के पूर्व 50,000 रुपये से ज्यादा की पूँजी से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखलाया जाता है।

20. लेखा की उपार्जित पद्धति के अपवाद :

कम्पनी निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिनका नकदी आधार पर लेखा में प्रयोग होता है, लेखा में उपार्जित व्यवस्था को अपनाती है।

(क) ऐसे व्यय जिसके मूल्य का न्यायसंगत अंदाजा प्रावधान बनाने के लिये नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) चिकित्सा भण्डार, खेल सामग्री, मुद्रण एवं स्टेशनरी तथा जलपानगृह और अतिथिगृह के लिए व्यय का प्रावधान इसके क्रय के समय ही कर लिया जाता है।

21. सम्पत्तियों की क्षीणता :

(क) यह जानने के लिए कि क्या सम्पत्तियों में क्षीणता का कोई संकेत है सम्पत्तियों की लागत को प्रत्येक तुलनपत्र में विचारा जाता है। अगर कोई संकेत रहता है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होनेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। सम्पत्ति की क्षमता को आंका जाता है कि क्या इसकी वसूली योग्य कीमत से इसकी दिखाई लागत अधिक है। संपत्ति की क्षीणता को तब मान्यता दी जाती है जब दिखाई जा रही राशि (Carrying Amount), वसूली योग्य राशि (Recoverable Amount) से अधिक है । प्राप्तियोग्य मूल्य, सम्पत्ति की बिक्री मूल्य तथा उपयोग किये मूल्य से ऊँचा होता है। उपयोग किये मूल्य का निर्धारण भविष्य के कैश फ्लो को नियोजित पूँजी से जिसे भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र की दर के क्षतिपूर्ति के आधार पर कर दी जाती है, उसमें बर्तमान मूल्य को घटा दिया जाता है ।

(ख) क्षीणता ज्ञात होने के बाद सम्पत्ति की संशोधित राशि पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो इसकी उपयोगी आयु के ऊपर होता है।

(ग) पूर्व में निर्धारित मूल्यह्रास हानि की परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है । हालांकि, क्षीण हानि को उस राशि से ज्यादा नहीं घटाया जा सकता है जो कि दिखाई गई राशि से ज्यादा हो जिसका निर्धारण (शुद्ध परिशोधित अथवा मूल्यह्रास) यह मानकर कि पूर्व वर्ष में कोई क्षीण हानि नहीं निर्धारित की गई है के आधार पर किया गया हो

22. आकस्मिक दायित्व :

इसे आर्थिक चिट्ठा के टिप्पणी द्वारा उल्लिखित किया गया है । इसे लेखा में उन आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधित किया जाता है जिसे वर्ष के अंत में लेखा की समाप्ति पर दायित्व में परिवर्तित किया जायेगा एवं आर्थिक चिट्ठा में जिसका प्रभाव दिखलाया जायेग।

23. प्रावधान :

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों के लिये प्रावधान की मान्यता है और ऐसे दायित्व के, भुगतान के लिये सम्भवत: संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी बशर्ते इनका विश्वसनीय आकलन सम्भव हो। प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य में नहीं लिया गया है। इसे प्रबंधन के अनुमान पर निश्चित किया गया है जिससे कि दायित्वों का तुलन पत्र की तिथि पर निस्पत्ति किया जा सके। इसकी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में समीक्षा की गई है एवं इसे प्रबंधन के वर्तमान अनुमान में प्रतिबिम्बित किया गया है ।

टिप्पणी-26

लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2015 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

26.1 कम्पनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69-मिन दिनांक 07 अगस्त, 1973 तथा संख्या 7/6/69-मिन (पी एस यू) दिनांक 03 जुलाई, 1974 की शर्तों के अनुपालन में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 के 33) की धारा 18 के अन्तर्गत अपने उत्पादन तथा उपभुक्त कच्चे माल, प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक, क्रय किये गए या अधिग्रहण किये गए कच्चे माल, अनुजाति एंव स्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन को प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित करने या उपलब्ध करने से निषिद्ध कर दिया गया है ।

तथापि इन सूचनाओं को वर्ष 2003-04 से सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है जो कम्नी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अनुसार उनके उच्च स्तर के उच्च परीक्षकों को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8(12)/2004-पी.एस.यू./448 दिनांक 9 जुलाई, 2004 के तहत कम्पनी का महत्वपूर्ण अंकेक्षण को देखने एवं इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति, जिसमें इन सूचनाओं को अन्य एजेंसियों को नहीं दिये जाने का गोपनीय करार भी है, दिया जाता है।

26.2 क) कम्पनी ने तुमलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष 557.18 एकड़) भूमि, बांदहुरांग में 686.86 (गत वर्ष 686.86 एकड़) भूमि एवं बागाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष 303.14 एकड़) भूमि का खनन पट्टा प्राप्त कर लिया है। कम्पनी भाटिन सहित जादुगोड़ा के लिए 1312.62 एकड़ (गत वर्ष 1312.62 एकड़) भूमि के खनन पट्टा के नवीनीकरण, नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ (गत वर्ष 1128.32 एकड़, जिसके लिए खनन पट्टा प्राप्त कर लिया गया था), माहुलडीह के लिए 288.20 एकड़ (गत वर्ष 288.20 एकड़) भूमि, तुरामडीह के लिए 31.77 एकड़ (गत वर्ष 31.77 एकड़) अतिरिक्त भूमि, के.पी.एम. के लिए 290.45 हेक्टेयर (गत वर्ष 290.45 हेक्टेयर) एवं लाम्बापुर के लिए 1301.38 एकड़ (गत वर्ष 1301.38 एकड़) भूमि एवं गोगी के लिए 39.13 एकड़ (गत वर्ष शून्य) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पत्राचार कर रही है ।

ख) कम्पनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है। जिससे संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी कीमत 1517.59 लाख रुपया (गत वर्ष 1517.59 लाख रुपया) है, जिसे कम्पनी की अचल परिसम्पत्ति में "लीज की भूमि" तथा "स्वतंत्र भूमि" शीर्ष में सम्मिलित किया गया है ।

ग) मुसाबनी में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई 3 एकड़ भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है। इसके प्रयोग से संबंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है।

परियोजना पूर्व के खर्चे

लाम्बापुर परियोजना रू. 750.31 लाख :

26.3 क) आंध्र प्रदेश के लाम्बापुर परियोजना के लिए डी.पी.आर. 2003 में तैयार किया गया और 2003 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया । खान के लिए पर्यावरण स्वीकृति 2005 में प्राप्त किया गया एवं प्लांट के लिए 2007 में स्वीकृति प्राप्त किया गया । तथापि परियोजना निर्माण के लिए सरकार की स्वीकृति अभी भी प्राप्त किया जाना है । खनन पट्टे की स्वीकृति राज्य सरकार के पास लंबित है। "स्थापन की सहमति" भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से लंबित है। भूमि अधिग्रहण कार्यवाही प्रगति में नहीं है, क्योंकि खनन पट्टा और सी.एफ.ई. नहीं प्राप्त हुआ है। मामला सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा देखा जा रहा है।

के.पी.एम. परियोजना रू. 823.46 लाख :

ख) कम्पनी ने ई.आइ.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट तैयार करना आरंभ किया है एवं मेघालय के केलिंग पेंडिंगसोहियोंग, माउथावा खनन एवं मिलिंग परियोजना के लिए वर्ष 2001 में खनन पट्टे हेतु आवेदन किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2004 में तैयार की गई थी। 30 वर्षों के लिए पट्टे पर भूमि स्थानान्तरण हेतु आवेदन कम्पनी के द्वारा मार्च, 2007 में जमा किया गया था । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2007 में पर्यावरण स्वीकृति ले ली गई थी। राज्य सरकार से स्वीकृति - स्थापन की सहमति, भूमि तथा खनन पट्टे का हस्तांतरण इत्यादि लंबित है। कंपनी राज्य में यूरेनियम खनन के प्रति जनता का समर्थन जुटाने के लिए सार्वजनिक आउटरिच प्रोग्राम चला रही है।

तुम्मलापल्ली विस्तारण परियोजना रू. 82.76 लाख :

ग) तुम्मलापल्ली विस्तारण परियोजना की वर्तमान उत्पादन क्षमता को तुम्मलापल्ली परियोजना के लिए 3000 टन प्रतिदिन से 4500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाने हेतु 2010 में डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया था। ई.आई.ए./ ई.एम.पी. अध्ययन आयोजित किया गया एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कर दिया गया। चूँकि जन-सुनवाई समय पर आयोजित नहीं की जा सकी, अत: संदर्भ की शर्तें समाप्त हो चुकी थी। टी.ओ.आर. एवं ई.आई.ए./ ई.एम.पी. अध्ययन हेतु नई प्रक्रिया की पहल कर दी गई है। चालू तुम्मलापल्ली परियोजना के प्रक्रिया संशोधनों को ध्यान में रखते हुए डी.पी.आर. का पुनरावलोकन किया जा रहा है।

गोगी परियोजना रू. 104.89 लाख

घ) कर्नाटक में गोगी यूरेनियम खनन एवं मिलिंग परियोजना के लिए 2010 में डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया था। 2010 में परमाणु ऊर्जा आयोग ने भी परियोजना की स्वीकृति दे दी थी। नवम्बर 2010 में आयोजित की गई जन-सुनवाई को एम.ओ.ई.एफ. के द्वारा वैध घोषित नहीं किया गया था। संदर्भ की शर्तें समाप्त हो चुकी थी। नए ई.आई.ए./ई.एम.पी. अध्ययन हेतु नई प्रक्रिया की पहल कर दी गई है।

भाटिन खान आधुनिकीकरण परियोजना : रू. 869.45 लाख

ङ) यूसिल ने "भाटिन खान का आधुनिकीकरण" शीर्ष में XII योजनावधि के अंतर्गत नई योजना परियोजना को हाथ में लिया है। दिसम्बर 2013 में परियोजना का डी पी आर तैयार हो गया था। परियोजना की स्वीकृति एम ओ ई एफ की वर्तमान विशेषज्ञ अप्रेजल कमिटी के द्वारा हो चुकी है। परियोजना वर्तमान भाटिन खान से 140 टन प्रति दिन से 400 टन प्रति दिन तक उत्पादन वृद्धि करेगी जो जादुगोड़ा प्लांट में अयस्क संसाधन के वर्तमान स्तर को बनाये रखने में सहायता प्रदान करेगा, जब कि जादुगोड़ा खान से अयस्क की उपलब्धता दयनीय है। प्रमुख ठेके के निविदा कार्य प्रगति पर हैं।

रोहिल खोजपूर्ण खनन परियोजना : रु.5.33 लाख

च) राजस्थान के सिकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप की खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा अन्वेषण के अधीन है। समझौता ज्ञापन के माध्यम से ए एम डी को यूसिल के लिए खोजपूर्ण खनन का कार्य सौंपने का प्रस्ताव है और अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूसिल ने पहले ही ड्रिल कोर की भू-तकनीकी अध्ययन के लिए गतिविधियाँ आरंभ कर दी है जो कि खादान खोलने के लिए आवश्यक है।

सिंहभूम और तुम्मलापल्ली में डिबोट्लनेकिंग परियोजना : रु.2.00 लाख

छ) यूसिल ने "सिंहभूम और तुम्मलापल्ली में संचालन की डिबोट्लनेकिंग" शीर्ष के अंतर्गत सिंहभूम और तुम्मलापल्ली समूह में कुछ परियोजनाओं को हाथ में लिया है जो दीर्घकालिक मायने में वर्तमान निष्पादन स्तर को कायम रखने में मदद करेगा। सभी डिबोट्लनेकिंग गतिविधियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर), विशेषज्ञ समूह के द्वारा तैयार किया गया है। प्रमुख ठेके के निविदा कार्य प्रगति में हैं।

यूरेनियम प्रतिप्राप्ति संयंत्र (मुसाबनी) : रु.13.42 लाख

ज) यूसिल ने ताम्र खादान के निकट एच सी एल के राखा और सुरदा खादान के अपशिष्ट से यूरेनियम पुनर्प्राप्ति के लिए दो यूरेनियम प्रतिप्राप्ति संयंत्र खोलने का प्रस्ताव दिया है। तांबे के अवशेष में यूरेनियम के तत्व भौतिकी परिशोधन (टेब्लिंग) से उन्नत किये जाएंगे और सांद्र को जादुगोड़ा संयंत्र में संसाधित किये जाएंगे। इसकी तकनीक को इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। मेसर्स एच सी एल के द्वारा क्षेत्र में ताम्र के खनन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित संयंत्र 2021 तक 45,000 टन प्रति माह ताम्र अपशिष्ट का संसाधन करेगी। डी.पी.आर. एवं इ.आइ.ए./इ.एम.पी. अध्ययन की तैयारी प्रगतिधीन है।

चालू परियोजना :

तुरामडीह मैग्नेटाइट प्रतिप्राप्ति संयंत्र : रु.119.13 लाख

क) तुरामडीह और बांदुहुरांग के यूरेनियम अयस्क में मैग्नेटाइट खनिज के छोटे तत्व शामिल होते हैं। यह मैग्नेटाइट, प्रस्तावित संयंत्र में उपोत्पाद के रूप में प्रतिप्राप्त होगा। इस प्रकार से उत्पादित मैग्नेटाइट, चुंबकीय तत्व और उत्कृष्टता के मामले में उच्च गुणवत्ता वाले होंगे और कोल वासरीज में इसका उपयोग मिल जाएगा। इस प्रथा का अनुपालन जादुगोड़ा में यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र में किया जा रहा है। परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। संयंत्र की रूपरेखा पूर्ण कर ली गई है तथा परामर्शदाता डिजाइन बेस्ड रिपोर्ट (डी बी आर) तैयार करने में संलग्न हैं। उपकरण की खरीद हेतु अग्रिम कार्रवाई प्रगति पर है।

जादुगोड़ा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड परियोजना रु.241.75 लाख

ख) जादुगोड़ा मिल के अपशिष्ट अब जादुगोड़ा संयंत्र के समीप उद्देश्य हेतु निर्मित चरण III टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाता है। चरण और II चरण टेलिंग पॉण्ड पूर्ण रूप से भर गये हैं और III चरण 1 वर्ष के अन्दर भर जाने का अनुमान है जिसके लिए अतिरिक्त इम्पाउण्डमेंट फेसिलिटी बनाया

जाना प्रस्तावित है। यह टेलिंग को जमा करने के लिए पर्याप्त स्थान तैयार करेगा। परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। साइट गतिविधियाँ शुरू कर दी गई हैं। ड्रिलिंग, ग्राउटिंग और प्राकृतिक जलधारा को मोड़ने का कार्य पूर्ण हो गया है। सैड्ल डैम और रोड के निर्माण के लिए कार्य आदेश दे दिया गया है। डैम के अग्र भाग के चारो ओर रिटेनिंग वाल निर्माण के लिए अनुबंध पूर्ण कर लिया गया है।

तुरामडीह पेरॉक्साइड संयंत्र परियोाना रु.490.23 लाख

ग) संयंत्र, मैग्नेशियम डाय-यूरेनेट के स्थान पर यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन करेगी। यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन, मैग्नेशियम डाय-यूरेनेट (एम.डी.यू.) में प्रबल पर्यावरणीय कमी पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। अधिकांश भौतिक काम पूर्ण कर लिये गए हैं। कोई लोड ट्राइल रन प्रगति में नहीं हैं। परियोजना शीघ्र चालू हो जाएगी।

तुम्मलापल्ली परियोजना रु.186178.96 लाख

घ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) ने स्थिर सामग्री से तुम्मलापल्ली संयंत्र चलाने की सहमति दे दी थी। यू.सी.आई.एल. को यूरेनियम अयस्क के साथ प्रक्रिया से सम्बंधित प्रदर्शन के आंकड़े जमा करने थे और इसे उपकरण एवं प्रक्रिया के संतोषानक प्रदर्शन के लिए डिजाइन बेस रिपोर्ट (डी.बी.आर.) के साथ समीक्षा के लिए ए.ई.आर.बी. के पास जमा करना था। संयंत्र परिचालन की सहमति, अयस्क के साथ कमिसनिंग ट्रायल रन के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर प्रदान की जाएगी।

तुम्मलापल्ली मिल में अपनाया गया प्रत्यक्ष अवक्षेपण के साथ अल्कलाइन प्रेसर लिचिंग प्रोसेस नेचर में अद्वितीय है और पायलट अध्ययन के पश्चात् औद्योगिक स्तर पर पहली बार अमल में लाया जा रहा है। प्रक्रिया से सम्बंधित कठिनाइयों का सामना, उत्पाद अवक्षेपण चरण में और अभिकर्मकों से निपटने में किया जा रहा है। उपरोक्त मुद्दे अयस्क प्रसंस्करण क्षमता को रोकते हैं और प्रक्रिया वसूली को भी प्रभावित करते हैं।

निम्न स्तर खनीजीकरण और अल्कली लीचिंक प्रक्रिया की आवश्यकता, नई प्रक्रिया विधि, प्रोसेस ऑप्टीमाइजेशन, प्रवाही उपचार सहित पर्यावरणीय प्रबंधन, अभिकर्मकों की पसंद, परिचालन की सुरक्षा इत्यादि चाहती है, जिसे बार्क,यूसिल और एन.एफ.सी. के विशेषज्ञों की टीम के द्वारा देखा जा रहा है।

प्रयोगशाला अध्ययन और पायलट स्केल भेलीडेशन के पश्चात संयंत्र में वांछित औद्यागिक आधुनिकीरण को सलाह देने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) और यूसिल के विभिन्न इकाईयों के वैज्ञानिकों वाली समिति बनाई गई है। वर्तमान योजनावधि लाइन के अनुसार, वांछित संशोधन की साइट कार्यान्वयन सितम्बर 2015 तक पूर्ण हो जाने का अनुमान है।

इस बीच ए.ई.आर.बी. ने तुम्मलापल्ली मिल के कमीशनिंग ट्रायल रन की सहमति दे चुका है। उपरोक्त को देखते हुए तुम्मलापल्ली परियोजना व्यावसायिक तौर पर प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता और पूंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

तुम्मलापल्ली परियोजना से सम्बंधित व्यय, तुम्मलापल्ली संयंत्र से यूरेनियम सान्द्र के प्रेषण के लिए मुआवजा के विरुद्ध प्राप्त राशि समायोजित करने के पश्चात् प्रगतिधीन पूँजी के अन्तर्गत रखा गया है।

ऐसिड लिचिंग प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए व्यापक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के बाद 1967 में सिंहभूम से शुरू किया गया यूरेनियम उत्पादन आमतौर पर दुनियाँ भर में यूरेनियम उद्योगों में अपनाया जाता है। छारीय प्रौद्योगिकी की जटिल प्रक्रिया को भी इस तरह के प्रयासों से सिद्ध किया जाना चाहिए। अयस्क की तीव्र निष्कर्षण की वजह से सिंहभूम में यूरेनियम जमा शंकूनुमा हो गया है। अतिरिक्त विकास के प्रयासों के साथ तुम्मलापल्ली जमा में खनन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी स्थिर और नियमित रूप से उत्पादन के लिए संयंत्र का प्रवर्तन में लाना आने वाले वर्षों में पर्याप्त रूप से सिंहभूम के उत्पादन में संभावित गिरावट की भरपाई करेगा।

तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग डैम परियोजना रु. 554.45 लाख

ङ) तुरामडीह मिल के अपशिष्ट को तालसा गाँव में उपयोग के लिए निर्मित स्टेज-I टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाता है। इस तालाब के 1-2 वर्षों में भर जाने की उम्मीद है जिसके लिए अतिरिक्त इम्पॉण्डमेंट सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है। परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। परियोजना का ए.ई.आर.बी. स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। निविदा से सम्बंधित सभी गतिविधियाँ, निर्माण इत्यादि योजनानुसार हैं। पूर्वी हिस्से में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। उत्तरी ओर के पहाड़ी सड़क निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। पूर्वी और पश्चिमी तटबंध पर कार्य प्रक्रिया में है। रिटेनिंग वाल और आउटफॉल चैलन प्रक्रिया में हैं।

(लाख रुपये में)

26.4 आकस्मिक देयताएँ तथा वचनबद्धता (जहाँ तक प्रावधान नहीं किया गया)	**31 मार्च 2015 के अनुसार**	31 मार्च 2014 के अनुसार
क) दावा जिसे ऋण के रूप में नहीं स्वीकारा गया	0.59	0.59
ख) असमाप्त शाख-पत्र	100.88	108.90
ग) ठेके के शेष अनुमानित राशि जिसका पूँजीगत लेखे में निष्पादन करना है (शुद्ध अग्रिम)	4085.10	3123.94
घ) कम्पनी के विरूद्ध दावे जिसे कम्पनी ने कर्ज के रूप में नहीं स्वीकारा है		
i) ठेकेदारों, छूट प्रपत्रों, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नि:शुल्क सामग्री निर्गम के संबंध में बिक्री कर दावों पर कम्पनी का विवाद	405.55	396.95
ii) झारखण्ड बिजली बोर्ड द्वारा इंधन प्रभार का दावा जो कम्पनी द्वारा विवादित है	13224.96	11730.19
iii) आयकर दावे जिसके लिए कटौती एवं कर देयता के संबंध में कम्पनी का विवाद	501.98	501.98
iv) खरकाई नदी से जलापूर्ति के लिए खरकाई नहर द्वारा जल प्रभार का दावा	185.29	185.29

कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं जिसके लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि उसका इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है।

26.5 लेनदारों, देनदारों का अग्रिम ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं की शेष राशि समाधान/ पुष्टिकरण के परिणामस्वरूप लंबित समायोजन बाकी है।

26.6 आंतरिक एवं बाहरी तथ्यों के निर्धारण के आधार पर सम्पत्तियों के मिलान के लिए कोई तुलनात्मक प्रावधान का विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य वर्तमान परिसम्पत्तियों के लागत से अधिक है।

26.7 कम्पनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान नियम 1952 (ई.पी.एफ. एक्ट) के अन्तर्गत नहीं आता है, परन्तु भविष्य निधि की व्यवस्था 1967 से न्यास के द्वारा की जा रही है जिसका नियम कम्पनी के द्वारा बनाया हुआ है और वह रिजनल प्रोविडेंड फंड कमिशनर (RPFC), पटना एवं आय कर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तथापि आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपने सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि यह ई.पी.एफ. एक्ट 1952 के अन्तर्गत आता है एवं 1997 से कम्पनी का पी.एफ. एवं फैमिली पेन्शन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कम्पनी ने दावे पर आपत्ति उठाई है तथा इसे अपील किया है जो वर्तमान में इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिव्यूनल (EPAT), नई दिल्ली के पास लंबित है। चूँकि कम्पनी के पी.एफ. अंशदान न्यास को भुगतान किया है जो 1952 ई.पी.एफ. एक्ट के अनुसार देय है, अत: कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ई.पी.ए.टी के समक्ष अपील लम्बित होने के कारण नहीं बनता है।

26.8 अभियंता प्रमाण-पत्र के अनुसार तुलन पत्र तिथि का प्रावधान कार्य देयता के लिए किया जाता है । अंतिम भुगतान बिल में जिसका इस्तेमाल लंबित परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण का प्रावधान अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार उपबंध किया जाता है जिसका अंतिम भुगतान में समायोजन करना आवश्यक होता है।

26.9 कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अल्पकालीन उधार लिये गए और वर्ष के लिए चुकाए गए ऋण / बकाये को खर्च के रूप में लाभ/हानि लेखे में प्रभारित किया गया।

26.10 वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि-II या आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान है।

26.11 अतिरिक्त सूचनाएँ

(लाख रुपये में)

	2014-15	2013-14
(क) सी.आई.एफ. के आधार पर आयात की गई सामग्रियों का मूल्य		
i) संघटक एवं कलपूर्जे	**151.75**	175.07
ii) पूँजीगत माल	**198.16**	**-**
योग (क)	**349.91**	175.07
(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय (उपार्जन के आधार पर)		
i) पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ	**-**	**-**
ii) विदेश यात्रा	**12.76**	8.43
योग (ख)	**12.76**	8.43

(ग) वर्ष भर में आयातीत/स्वदेशी सामग्रियों, कलपूर्जे एवं उपभुक्त संघटकों का कुल मूल्य :

	2014-15	%	2013-14	%
आयातित	**79.55**	**0.34**	276.25	1.27
स्वदेशी	**23632.46**	**99.66**	21426.50	98.73
योग	**23712.02**	**100.00**	21702.76	100.00

26.12 लेखा मानक-15 के अनुसार प्रकटीकरण (संशोधित)

क) परिभाषित अंशदायी योजना

	2014-15	2013-14
वर्ष के लिए लाभ एवं लेखा विवरण में निम्नलिखित को चिह्नित किया गया :		
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	**1888.33**	1758.21
सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	**80.04**	79.00

ख) ग्रेच्युटी के संबंध में (कम्पनी निधि द्वारा) ग्रेच्युटी के संबंध में तुलन-पत्र में चिह्नित राशि

	2014-15	2013-14
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य के परिभाषित निधि लाभ का दायित्व	**11816.99**	9994.17
योजना सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य	**9883.33**	8918.35
कुल देयताएँ (परिसम्पत्ति)	**(1933.66)**	(1075.82)

(लाख रुपये में)

	2014-15	2013-14
ग्रेच्युटी के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ की राशि को चिह्नित किया गया		
चालू लेखा लागत	**367.67**	476.92
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज	**884.70**	683.27
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	**(806.47)**	(719.00)
चिह्नित अवधि के दौरन शुद्ध लाभ/हानि	**1356.49**	883.36
विगत सेवा लागत	**-**	**-**
शुद्ध ग्रेच्युटी लागत	**1802.39**	1324.55
लाभ-हानि खाते में प्रभारित राशि	**1751.63**	1297.90
आई.ई.डी.सी. को को हस्तांतरित राशि	**50.76**	26.65
योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ :		
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	**806.47**	719.00
योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ/हानि	**73.66**	39.52

योजना सम्पत्ति के वास्तविक लागत एवं दायित्व का वर्तमान मूल्य का पुनर्मूल्यांकन : दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	2014-15	2013-14
आरम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व	**999.4.17**	8959.86
चालू सेवा लागत	**367.67**	476.92
ब्याज लागत	**884.70**	683.27
योजना संशोधन लागत	**-**	**-**
वास्तविक (लाभ/हानि)	**1430.15**	922.88
लाभ भुगतान	**(859.70)**	(1048.76)
अन्तिम परिभाषित लाभ दायित्व	**11816.99**	9994.17

योजना परिसम्पत्ति मूल्य में वास्तविक परिवर्तन	2014-15	2013-14
योजना सम्पत्ति का प्रारम्भिक वास्तविक मूल्य	**8918.35**	7817.93
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	**806.47**	719.00
वास्तविक लाभ/(हानि)	**73.66**	39.52
नियोजक द्वारा अंशदान	**944.55**	1390.66
लाभ भुगतान	**(859.70)**	(1048.76)
योजना सम्पत्ति का अंतिम वास्तविक मूल्य	**9883.33**	8918.35

(लाख रुपये में)

योजना सम्पत्ति का निवेश विवरण	2014-15	2013-14
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	**28.40%**	32.01%
कॉरपोरेट बॉंड (बंध पत्र)	**12.20%**	34.95%
विशेष जमा योजना	**8.65%**	23.32%
अन्य (एल.आई.सी.)	**50.75%**	23.32%
कुल	**100%**	100%

ग्रेच्युटी के संबंध में चालू वर्ष एवं विगत चार वर्षों की राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित लाभ	**(11816.99)**	(9934.17)	(8959.86)	(7,863.90)	(7426.93)
योजना सम्पत्ति	**9883.33**	8918.35	7817.93	7656.52	4614.09
अतिरिक्त/(ह्रास)	**(1933.66)**	(1075.82)	(1141.93)	(207.38)	(2812.84)
योजना दायित्व पर समायोजन का अनुभव	**(52.46)**	(1954.84)	(900.15)	(516.85)	(1018.60)
योजना सम्पत्ति पर समायोजन का अनुभव	**73.66**	39.52	(195.62)	(5.67)	148.86
वास्तविक लाभ/(हानि) अनुमान में परिवर्तन के कारण	**(1377.69)**	1031.96	(300.80)	280.43	0

तुलन पत्र तिथि के अनुसार मुख्य वास्तविक अनुमान

	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
छूट दर (%)	7.80%	9.25%
सम्पत्ति योजना पर लाभ का अनुमानित दर (%)	9.00%	9.00%

(ग)

(लाख रुपये में)

छुट्टी लाभ योजना के सम्बंध में परिभाषित लाभ अभिकल्पना	**31 मार्च 2015 स्थिति के अनुसार**	31 मार्च 2014 स्थिति के अनुसार
छुट्टी लाभ के सम्बंध में तुलन-पत्र में राशि को स्वीकार किया गया		
परिभाषित लाभ निधि का वर्तमान मूल्य		
वर्ष के अंत में दायित्व	4103.37	**3247.22**
योजना सम्पत्ति का औचित्य मूल्य	**0.00**	0.00
शुद्ध देयता/(परिसम्पत्ति)	**4103.37**	**3247.22**
छुट्टी के सम्बंध में लाभ एवं हानि खाते के विवरण में स्वीकार की गई राशि		
चालू सेवा लागत	**627.04**	559.02
परिभाषित लाभ का दायित्व	**288.54**	220.41
योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	**0.00**	0.00
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान स्वीकार की गई हानि	**196.36**	(198.24)
विगत सेवा लागत	**0.00**	0.00
शुद्ध छुट्टी नकदीकरण लागत	**1111.94**	581.19
लाभ एवं हानि लेखे को राशि विवरण में प्रभारित किया गया	**1024.88**	547.66
आई.ई.डी.सी. में हस्तांतरित राशि	**87.06**	33.53
दायित्व के वर्तमान मूल्य का पुनर्मिलान एवं योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य		
परिभाषित योजना में परिवर्तन :		
आरम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व	**3247.22**	2776.28
चालू सेवा लागत	**627.04**	559.02
ब्याज लागत	**288.54**	220.41
योजना संशोधन लागत	**0.00**	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	**196.36**	(198.24)
भुगतान किया गया लाभ	**(255.79)**	(110.25)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**4103.37**	3247.22
योजना परिसम्पत्ति उचित मूल्य में परिवर्तन		
योजना परिसम्पत्ति का प्रारम्भिक उचित मूल्य	**0.00**	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	**0.00**	0.00
बीमांकिक लाभ/(हानि)	**0.00**	0.00
नियोजकों द्वारा किया गया अंशदान	**0.00**	110.25
भुगतान किया गया लाभ	**0.00**	(110.25)
योजना परिसम्पत्ति का अंतिम उचित मूल्य	**0.00**	0.00

(लाख रुपये में)

तुलन-पत्र में छुट्टी नकदीकरण पर मुख्य बीमांकिक अनुमान	31 मार्च 2015 स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 स्थिति के अनुसार
i) छूट दर (%)	**7.80%**	9.25%
ii) योजना सम्पत्ति पर वापसी की अनुमानित दर (%)	**-**	-
iii) वेतन वृद्धि दर (%)	**5.00%**	5.00%
iv) आहरण दर (%)	**1.00%**	1.00%

(घ)

सेवा-निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में परिभाषित लाभ योजना	31 मार्च 2015 स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 स्थिति के अनुसार
सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में तुलन-पत्र में स्वीकार की गई राशि		
प्रक्षिप्त लाभ दायित्व	**365.51**	244.82
योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	**0.00**	0.00
शुद्ध देयता/(परिसम्पत्ति)	**365.51**	244.82
लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकार की गई राशि एवं सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में		
चालू सेवा लागत (पूर्ण बीमा लाभ के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	**11.29**	10.20
ब्याज लागत	**21.41**	17.70
योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	**0.00**	0.00
अवधि के दौरान/स्वीकार की गई शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	**114.74**	6.41
विगत सेवा लागत	**0.00**	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में चिन्हित नियोक्ता का शुद्ध व्यय	**147.44**	34.31
लाभ एवं हानि लेखे के विवरण में प्रभारित राशि	**124.20**	15.33
आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि	**23.24**	18.94
दायित्व के वर्तमान मूल्य का पुनर्मिलान एवं योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य :		
परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन -		
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	**244.82**	226.58
चालू सेवा लागत	**11.29**	10.20
ब्याज लागत	**21.41**	17.70
योजना संशोधन लागत	**0.00**	0.00
बीमांकित (लाभ)/हानि	**114.74**	6.41
लाभ का भुगतान	**(26.75)**	(16.07)
अंतिम परिभाषित दायित्व	**365.51**	244.82

(लाख रुपये में)

उचित मूल्य योजना परिसम्पत्ति में परिवर्त्तन	31 मार्च 2015 स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 स्थिति के अनुसार
योजना परिसंपत्ति का प्रारंभिक उचित मूल्य	**0.00**	0.00
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित वापसी	**0.00**	0.00
बीमांकित लाभ / (हानि)	**0.00**	0.00
नियोजक द्वारा अंशदान	**26.75**	16.07
लाभ का भुगतान	**(26.75)**	(16.07)
योजना परिसंपत्ति का अंतिम उचित मूल्य	**0.00**	0.00
तुलन-पत्र में सेवा निवृति पश्चात चिकित्सा लाभ पर मुख्य बीमांकिक अनुमान		
छूट दर (%)	**7.80**	9.25
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अनुमानित दर (%)	**अप्रयोज्य**	अप्रयोज्य
चिकित्सा मुद्रा स्फीति दर (%)	**6.00**	6.00
प्रति व्यक्ति औसत चिकित्सा लागत	**6,800**	6,300
मृत्यु दर (%)	**भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) (संशोधित)**	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) (संशोधित)
आहरण दर (%)	**1%**	1%
छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) लाभ के सम्बंध में परिभाषित लाभ योजना		
छूट दर (%)	**7.80**	9.25
प्रति व्यक्ति यात्रा दावे का औसत लागत (रु. में)	**3,000.00**	3,000.00
लाभ एवं हानि लेखे में नियोक्ता के कुल चिन्हित खर्चे	**27.93**	265.28
लाभ-हानि लेखे के विवरण में प्रभारित राशि	**25.82**	237.13
आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि	**2.11**	28.15

26.13 सेगमेंट रिपोर्टिंग :

कम्पनी का व्यवसायिक कार्यकलाप प्रचालन के रूप में एक सेगमेंट में चिह्नित किया गया है और एक भौगोलिक क्षेत्र में भी, अत: लेखा मानक 17 के अनुसार लेखा में अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है ।

26.14 संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण : **(लाख रुपये में)**

विवरण	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	कुल पारिश्रमिक	
		2014-15	2013-14
प्राप्त की जा रही सेवायें	1. श्री डी.आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**27.40**	29.98
	2. श्री एस. के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी	**22.71**	23.68
	3. श्री डी घोष, निदेशक वित्त (07.02.2015 से)	**3.22**	-
	4. श्री बी. एल. साबू, निदेशक वित्त (12.05.2014 तक)	**2.47**	20.54

26.15

प्रति शेयर लाभ	2014-15	2013-14
कर पश्चात् लाभ (लाख रुपये में)	818.31	1069.42
इकाई शेयर का भारित औसत संख्या	1,48,37,844	1,44,21,178
जोड़ा:ईकाइ शेयर की संभाव्य संख्या	1,11,060	1,11,060
ईकाइ शेयर का तनुकृत संख्या	1,49,48,904	1,44,32,238
ईकाइ शेयर का अंकित मूल्य (रुपया में)	1,000	1,000
प्रति शेयर प्रारंभिक आय (रुपया में)	5.51	7.42
प्रति शेयर फीकी आय (रुपया में)	5.47	7.36

26.16 आंकड़ों को लाख रुपये के सन्निकट में लिया गया है । गत वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू तुलनात्मक दृष्टि से पुन: समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है ।

अनुसूची **'1'** से **'26'** के हस्ताक्षरी

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है ।

कृते **यू. नारायण एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 000935सी

(अजय छाबड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 071431

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25.08.2015

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

बी. सी. गुप्ता	**देबाशीष घोष**	**एस. के. श्रीवास्तव**	**डी. आचार्य**
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31.03.2015 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपयों में)

		2014-15	2013-14
(क)	**परिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	**1,133.26**	1,632.77
	समायोजन के लिए		
	मूल्य ह्रास एवं ऋण मुक्ति व्यय	**8,290.47**	7,880.04
	ऋण एवं पेशगी पर ब्याज	**(96.85)**	(93.45)
	बैंक जमा पर ब्याज	**(729.52)**	(1,299.39)
	ब्याज पर व्यय	**5,616.45**	4,730.88
	कार्यकारी पूँजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	**14,213.81**	12,850.85
	समायोजन के लिए		
	क) देनदारों को (वृद्धि)/ह्रास	**1,873.46**	75.37
	ख) मालसूची में (वृद्धि)/ह्रास	**(1,021.78)**	1,803.70
	ग) ऋण एवं पेशगियों में (वृद्धि)/ह्रास	**848.39**	(1,167.20)
	घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियों पर (वृद्धि)/ह्रास	**(138.74)**	356.16
	ड.) दायित्व में (वृद्धि)/ह्रास	**5,976.44**	3,335.93
	परिचालन की क्रियाओं से नकद उपार्जन	**21,751.58**	17,254.81
	प्रत्यक्ष कर	**(103.40)**	(5,097.07)
	परिचालन की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	**21,648.18**	12,157.74
(ख)	**निवेश की क्रियाओं से केश फ्लो**		
	क) निश्चित परिसम्पत्तियों की खरीद	**(4,437.10)**	(3,679.00)
	ख) डब्ल्यू.आई.पी. की पूँजी में (वृद्धि)/ह्रास	**(29,114.58)**	(28,548.31)
	ग) पूँजी व्यय के लिए अग्रिम	**2,309.98**	1,487.36
	घ) बैंक जमा पर ब्याज	**729.52**	1,299.39
	ड) ऋण एवं पेशगियों पर ब्याज	**96.85**	93.45
	च) अन्य बैंक जमा में (वृद्धि)/ह्रास	**5,595.11**	8,257.08
	विनियोग की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	**(24,820.22)**	(21,090.03)
(ग)	**वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	इक्विटी शेयर पूँजी से लाया गया	**7,900.00**	4,000.00
	(1900 लाख रुपये के लंबित आवंटन को जोड़ कर)		
	अल्प कालीन उधार में (वृद्धि)/ह्रास	**3,745.15**	11,682.13
	लाभांश चुकाया	**(214.00)**	(1,815.00)
	ब्याज चुकाया	**(5,616.45)**	(4,730.88)
	वित्तीय क्रियाओं में शुद्ध नकदी का उपयोग	**5,814.70**	9,136.25
(घ)	**नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**2,642.66**	203.96
	वर्ष के प्रारम्भ में नकदी के सामान	**375.66**	171.70
	वर्ष के अन्त में नकदी के सामान	**3,018.32**	375.66
(ड.)	**नकद एवं नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि/(कमी)**	**2,642.66**	203.96

विगत वर्ष के आँकड़े को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू वर्ष में तुलनात्मक दृष्टि से पुन: समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है ।

कृते **यू. नारायण एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 000935सी

(अजय छाबड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 071431
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25.08.2015

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

बी. सी. गुप्ता	**देबाशीष घोष**	**एस. के. श्रीवास्तव**	**डी. आचार्य**
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार-संग्रह

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन/मजदुरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास (नगद क्षेत्र पर ह्रास को छोड़कर)	ब्याज	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि	कर पश्चात लाभ	पूँजी	ऋण	आरक्षित तथा अधिशेष	सकल निरूद्ध पूँजी	कुल मूल्य ह्रास	शुद्ध निरूद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
1990–91	3080.6	398.0	938.5	197.9	–	1237.2	323.5	143.5	6989.3	–	2458.3	4029.4	2289.8	1739.6	3629
1991–92	3929.3	518.8	1167.1	214.4	–	1455.0	571.8	245.8	12417.2	–	2654.4	4933.5	2590.3	2343.2	3748
1992–93	4249.2	659.3	1369.8	217.9	2.1	1624.1	376.5	146.2	17017.3	–	2802.0	5262.4	2824.3	2438.1	3898
1993–94	4775.7	788.3	1415.5	291.7	0.7	1970.5	309.0	104.4	22517.3	–	2906.5	9085.1	3574.4	5510.7	3904
1994–95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	18.6	2396.1	349.1	801.9	30517.3	–	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
1995–96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	10.2	2187.7	31.1	78.6	5422.3	–	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
1996–97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	0.1	3693.6	(-) 676.0	(-) 854.0	36922.3	–	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
1997–98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	–	5019.9	516.7	251.4	37075.3	–	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
1998–99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	–	6495.0	177.5	367.1	41982.3	–	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1999–00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	–	5361.4	1307.9	1151.1	41982.3	–	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
2000–01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.9	–	6167.4	405.2	303.7	41982.3	–	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
2001–02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	–	6399.3	872.0	588.2	38339.3	64.4	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
2002–03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	–	7500.0	2772.4	480.84	41839.3	–	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
2003–04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	–	9389.7	1925.7	978.7	49839.3	–	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2004–05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	–	9896.72	4621.6	2925.1	63389.3	–	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
2005–06	28156	3121	7309	2468	–	10332	4926	3161	69094	–	9472	57074	25509	31566	4103
2006–07	29781	4138	8817	2592	–	9856	4378	2751	71265	–	11403	61942	28192	33750	4276
2007–08	30436	4786	9929	2518	–	11061	2142	1463	84165	–	12433	67254	31012	36242	4439
2008–09	41462	6143	12728	2755	–	13832	6004	1801	107765	–	13684	117101	33914	83187	4643
2009–10	54306	7494	14539	6661	–	17827	7785	4626	134793	–	16957	123150	40842	82308	4539
2010–11	76025	10072	19815	8245	–	21836	16057	10153	143962	–	24146	126383	49131	77251	4696
2011–12	70728	10469	18572	7184	–	25526	8626	6484	143962	–	28742	135090	56446	78644	4624
2012–13	85512	12882	21988	7795	–	28447	14417	9078	143962	–	35697	145358	64418	80940	4613
2013–14	81430	13106	24806	7793	–	33979	1633	1069	146962	–	36516	148617	71878	76739	4642
2014–15	**89024**	**14138**	**27869**	**8186**	–	**37693**	**1133**	**818**	**153962**	–	**36116**	**153054**	**81715**	**71339**	**4685**

निगमित सामाजिक दायित्व
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY

Department of Atomic Energy (DAE) Tableau in the 66th Republic Day Parade 2015 at Rajpath, New Delhi.

राष्ट्र की सेवा में परमाणु

परमाणु उर्जा विभाग ने अपने हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी झांकी में राष्ट्र की सेवा में सामाजिक लाभों हेतु परमाणु की असीम शक्ति का उपयोग करने की अपनी विशेषज्ञता को प्रदर्शित किया है।

झांकी में सबसे आगे परमाणु कक्ष के ऊपर एक सफेद कबूतर स्थापित है, जो 'शान्ति हेतु परमाणु' के संदेश का प्रसार करने के राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक है। यह भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक स्वप्नदृष्टा डॉ. होमी जहांगीर भाभा को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

झांकी के पृष्ठ भाग को विभाग की सेवा प्रदेयताओं के साथ–साथ संकल्पनात्मक रूप से शान्ति, प्रगति और समृद्धि के दर्शाते हुए, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई प्रगति को दर्शाया गया है जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित 'भाभाट्रान मशीन' दर्शाई गई है जो रेडियो थैरेपी में प्रयुक्त होती है और कम कीमत पर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान कर रही है। इसके बाद का रंग–बिरंगी वनस्पति वाला भाग उत्पत्ति मूलक प्रजनन प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्यान और कृषि में समृद्धि को चित्रांकित करता है जिसमें रोग–प्रतिरोगी एवं अधिक उपज देने वाले बीजों, खाद्यान उत्पादों की शेल्फ आयु बढ़ाने वाली खाद्य–किरणन तकनीक को प्रदर्शित किया गया है। अंतिम भाग में शान से खड़ा है हमारा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, जो राष्ट्र की सतत् प्रगति हेतु स्वच्छ और हरित उर्जा की असीमित आपूर्ति प्रदान करने में परमाणु ऊर्जा के फायदों को दर्शाता है।

–परमाणु उर्जा विभाग

Atoms in the Service of the Nation

Celebrating its diamond jubilee year, the Department of Atomic Energy portrays in its tableau, its expertise in harnessing the tremendous potential of the atom for societal benefits in the service of the nation.

The tableau is led by a white dove atop an atomic orbital symbolising the conviction of the nation to spread the message - 'Atoms for Peace'. It also pays a sombre homage to the visionary Dr. Homi Jehangir Bhabha, founding father of the Indian Nuclear Programme.

The trailer portion is conceptually divided into three parts depicting peace, progress and prosperity, vis-a-vis the service deliverables of the Department. The first part symbolises progress in the field of medical technology depicting the indigenously developed 'Bhabhatron' machine, used in radio-therapy and delivering affordable healthcare. The colourful flora, following it, picturises prosperity in food and agriculture through mutation breeding technology to provide disease resistant and high yielding seeds; food irradiation techniques that increase the shelf life of the produce. Lastly, standing tall, the indigenous Nuclear Reactor showcases the advantage of nuclear energy to provide an unlimited supply of clean and green energy for the sustained progress of the nation.

-DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY